न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-1, झुंझुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारीः– **सीमा ढ़ाका, आर.जे.एस.**

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांकः 27.03.2026

सेशन प्रकरण संख्याः–BT No. 88/18 (67/18) (CIS N. 133/18)

CNR NO. RJJH010023272018

राज० राज्य बनाम हरिराम व अन्य

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-28/16 , पुलिस थाना नवलगढ़

अपराध अन्तर्गत धारा 148, 455, 341, 323/149, 325/149, 427/149, 397/149 भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादी	सुभाषचंद पुत्र श्री चुन्नीलाल, निवासी कैरू पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुन्झुनू।
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. हरिराम पुत्र श्री सुरजाराम, निवासी रणवां की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी पुलिस थाना नवलगढ़। 2. राजेन्द्र पुत्र श्री मंगलाराम, निवासी रणवां की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुन्झुनू। **(मृत्यु होने से कार्यवाही ड्रोप)** 3. सुभाष पुत्र श्री मूलचंद, निवासी नेहरा की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी, पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुन्झुनू। 4. बजरंगलाल पुत्र श्री गुमानाराम, निवासी नेहरों की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी, पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुन्झुनू। 5. श्रीराम रणवां पुत्र श्री मंगलाराम, निवासी रणवां की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी, पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुन्झुनू। 6. भोपाल सिंह पुत्र श्री कालूराम, निवासी रणवां की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी, पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुन्झुनू। 7. मनोहरलाल पुत्र श्री शंकरलाल, निवासी रणवां की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी, पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुन्झुनू। 8. ओपेन्द्र पुत्र श्री मूलचंद, निवासी नेहरों की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुन्झुनू। 9. धर्मपाल उर्फ धोलू पुत्र श्री भोपालराम निवासी रणवां की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी, पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुन्झुनू। 10. श्रीराम पुत्र श्री मंगलाराम, निवासी नेहरों की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुन्झुनू।
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री अनूप गिल
राज्य की ओर से	विद्वुषी अपर लोक अभियोजक

B

अपराध की दिनांक	16.01.2016
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	16.01.2016
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	26.07.2018
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	22.01.2019
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	12.03.2019
बहस अंतिम की दिनांक	10.02.2026
निर्णय दिनांक	**27.03.2026**
दण्डादेश की दिनांक	--

C

अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1.	हरिराम	17.01.16	08.02.16	**148, 455, 341, 323/149, 325/149, 427/149, 397/149 भारतीय दण्ड संहिता**	**दोषसिद्ध**	**दोषसिद्ध एवं परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया गया।**	
2.	बजरंगलाल	17.01.16	08.02.16				
3.	सुभाष	17.01.16	10.02.16				
4.	श्रीराम रणवां	17.01.16	08.02.16				
5.	भोपाल सिंह	17.01.16	08.02.16				
6.	मनोहर लाल	24.02.16	10.02.16				
7.	उपेन्द्र	11.05.16	18.05.16				
8.	धर्मपाल	26.05.17	02.06.17				
9.	श्रीराम पुत्र मंगलाराम	27.05.17	02.06.17				

भाग–द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	नवल किशोर मीणा	पुलिसकर्मी (अनुसंधान अधिकारी)
पी.डब्ल्यू 2	मोहनलाल	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू 3	खेताराम	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू 4	डॉ. योगेश कुमार जाखड़	चिकित्सीय साक्षी
पी.डब्ल्यू 5	अमित कुमार	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू 6	अंकित कुमार	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू 7	ओमप्रकाश	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू 8	चेनाराम	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 9	संत कुमार	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 10	महेश कुमार	रेडियोग्राफर
पी.डब्ल्यू 11	हितेश थोरी	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू 12	सुरेन्द्र	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 13	जितेन्द्र	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू 14	आसाराम	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 15	सुभाषचंद्र	परिवादी
पी.डब्ल्यू 16	सुनिल	पुलिसकर्मी

पी.डब्ल्यू 17	बलबीर सिंह	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 18	शुभकरण	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 19	राजेन्द्र	चक्षुदर्शी
पी.डब्ल्यू 20	रमेशचंद	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 21	नंदसिंह	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 22	विजेन्द्र सिंह	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू 23	रामवतार मीना	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 24	हरिराम	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 25	संदीप कुमार	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 26	संदीप कुमार	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 27	करणीराम	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 28	अजय सिंह	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 29	नवाब खां	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 30	सुभाषचंद्र	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 31	ललिता	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 32	सूर्यप्रकाश शर्मा	चिकित्सीय साक्षी
पी.डब्ल्यू 33	सुरेन्द्र सिंह देगड़ा	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 34	कैलाशचंद	पुलिसकर्मी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
	–––	

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 1	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त धर्मपाल
02	प्रदर्श पी 2	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला
03	प्रदर्श पी 3	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त श्रीराम
04	प्रदर्श पी 4	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला
05	प्रदर्श पी 5	फर्द बरामदगी मूल आरसी
06	प्रदर्श पी 6	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
07	प्रदर्श पी 7	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला
08	प्रदर्श पी 8	फर्द जब्ती मोबाईल सैमसंग

09	प्रदर्श पी 9	असल बिल मोबाईल का
10	प्रदर्श पी 10	नक्शा मौका घटनास्थल
11	प्रदर्श पी 11	फर्द निरीक्षण एवं सुपुर्दगी स्कॅारपियो
12	प्रदर्श पी 12	फर्द निरीक्षण एवं सुपुर्दगी मोटरसाईकिल
13	प्रदर्श पी 13	फर्द जब्ती स्कॉर्पियो
14	प्रदर्श पी 14	फर्द जब्ती मोटरसाईकिल
15	प्रदर्श पी 15	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र आहत अंकित
16	प्रदर्श पी 16	एक्सरे रिपोर्ट
17	प्रदर्श पी 17 से 20	एक्सरे प्लेट आहत अंकित
18	प्रदर्श पी 21	चोट प्रतिवेदन आहत विजेन्द्र
19	प्रदर्श पी 22	एक्सरे रिपोर्ट आहत विजेन्द्र
20	प्रदर्श पी 23 से 26	एक्सरे प्लेट
21	प्रदर्श पी 27	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र आहत खेताराम
22	प्रदर्श पी 28	एक्सरे रिपोर्ट आहत खेताराम
23	प्रदर्श पी 29	एक्सरे प्लेट
24	प्रदर्श पी 30	आहत राजेन्द्र का चोट प्रतिवेदन प्रपत्र
25	प्रदर्श पी 31	एक्सरे रिपोर्ट आहत राजेन्द्र
26	प्रदर्श पी 32 व 33	एक्सरे प्लेट
27	प्रदर्श पी 34	फर्द जब्ती खून आलूदा मिट्टी
28	प्रदर्श पी 35	फर्द जब्ती खून आलूदा पार्चेजात
29	प्रदर्श पी 36	फर्द गिरफ्तारी हरिराम
30	प्रदर्श पी 37	फर्द गिरफ्तारी बजरंगलाल
31	प्रदर्श पी 38	फर्द गिरफ्तारी अभियक्त राजेन्द्र
32	प्रदर्श पी 39	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त सुभाष
33	प्रदर्श पी 40	फर्द गिरफ्तारी श्रीराम
34	प्रदर्श पी 41	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त भोपाल सिंह
35	प्रदर्श पी 42	फर्द जब्ती अलाय जरब एक झाड़ी लाठी
36	प्रदर्श पी 43	फर्द नक्शा मौका बरामदगीस्थल
37	प्रदर्श पी 44	फर्द जब्ती लोहे का पाईप
38	प्रदर्श पी 45	फर्द जब्ती सीसीटीवी
39	प्रदर्श पी 46	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
40	प्रदर्श पी 47	फर्द जब्ती बबूल की लकड़ी
41	प्रदर्श पी 48	फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल
42	प्रदर्श पी 49	फर्द जब्ती 950/— रूपये

43	प्रदर्श पी 50	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
44	प्रदर्श पी 51	फर्द जब्ती 500/- का नोट
45	प्रदर्श पी 52	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
46	प्रदर्श पी 53	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त ओपेन्द्र
47	प्रदर्श पी 54	फर्द जब्ती बासं की लाठी
48	प्रदर्श पी 55	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त मनोहरलाल
49	प्रदर्श पी 56	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त मनोहरलाल (पुनः सहवन से)
50	प्रदर्श पी 57 से पी 106	फोटोग्राफ
51	प्रदर्श पी 107	फर्द बरामदगी एक लोहे की पाईप
52	प्रदर्श पी 108	लिखित रिपोर्ट
53	प्रदर्श पी 109	चॉक एफआईआर
54	प्रदर्श पी 110	फर्द निरीक्षण एवं सुपुर्दगी स्विफ्ट डी.आई.
55	प्रदर्श पी 111	प्राप्ति रसीद
56	प्रदर्श पी 112	फर्द ईत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
57	प्रदर्श पी 113	चिट पर्ची
58	प्रदर्श पी 114 व 115	चिट पर्ची
59	प्रदर्श पी 114 से 116	मालखाना रजिस्टर
60	प्रदर्श पी 117 से 126	आहत विजेन्द्र के ईलाज के दस्तावेज
61	प्रदर्श पी 127	अग्रेषण पत्र
62	प्रदर्श पी 117	हालात मौका
63	प्रदर्श पी 118, 119 व 120	आहत ओमप्रकाश, राजेन्द्र व खेताराम के ईलाज के दस्तावेज
64	प्रदर्श पी 127 से 135	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिलाएं
65	प्रदर्श पी 135 से 152	चिट पर्ची

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श डी-1	साक्षी मोहनलाल के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान
02	प्रदर्श डी-2	साक्षी सुभाषचंद के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान
03	प्रदर्श डी-3	पंचायत बैठक कार्यवाही रजिस्टर की प्रति
04	प्रदर्श डी-4	साक्षी राजेन्द्र के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान
05	प्रदर्श डी-5	ग्राम पंचायत में लिये गये प्रस्ताव की प्रति

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––	––	––

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
1.	आर्टिकल 1	मोबाईल
2	आर्टिकल 1	बासं की लाठी
3.	आर्टिकल–2 व 3	500/– रूपये के दो नोट
4.	आर्टिकल–4 लगायत 7	100/–100/– रूपये के चार नोट
5.	आर्टिकल–8	50/– रूपये का नोट
6.	आर्टिकल–9	सीसीटीवी कैमरा
7.	आर्टिकल–10	कैबिल
8.	आर्टिकल–11 व 12	मिट्टी व पत्थर
9.	आर्टिकल–13 व 14	खून आलूदा मिट्टी व खून आलूदा पत्थर
10.	आर्टिकल–15	जैकेट
11.	आर्टिकल–16 व 17	दो शर्ट
12.	आर्टिकल–18	पेंट
13	आर्टिकल–19 व 20	दो झाड़ी की लकड़ियां
14.	आर्टिकल–21	लोहे का पाईप

अपराध अन्तर्गत धारा 148, 455, 341, 323/149, 325/149, 427/149, 397/149 भारतीय दण्ड संहिता

निर्णय दिनांक 27.03.2026

1. संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 16.01.2016 को परिवादी सुभाषचंद द्वारा भार साधक अधिकारी पुलिस थाना नवलगढ़ के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 16.01.2016 को दोपहर करीब 11 बजे वे अपनी फैक्ट्री जो ग्राम मोहनवाड़ी में सेठ वाली प्याउ से खिरोड़ रास्ते पर स्थित है, उसमें अपना काम कर रहे थे। तब अचानक से उनकी फैक्ट्री का मैन गेट का दरवाजा बंद था, उसको खोलकर श्रीराम पुत्र मंगलाराम, ताराचंद पुत्र मंगलाराम, सुरेन्द्र पुत्र मंगलाराम, मनोहरलाल पुत्र शंकरलाल, भोपाल सिंह पुत्र कालूराम, धर्मपाल पुत्र भोपाल सिंह, सजना देवी, मंजू देवी, राजेन्द्र, बुलबुल उर्फ पूजा, देवकरण, हरिराम, दिनेश कुमार, अशोक कुमार, सुंदर देवी, कमला देवी, परमेश्वरी देवी, सावित्री देवी, बिदामी देवी, मूलाराम, सुरेन्द्र, सुभाष, ओपेन्द्र, विधाधर, श्रीराम पुत्र मंगलाराम, तीजा देवी, सावित्री, बजरंगलाल, संतोष देवी, जयचंद, समस्त निवासीगण मोहनवाड़ी एवं 10–15 पुरूष एवं महिलाएं एक राय होकर हाथों में लाठियां, सरिया पत्थर धारदार औजार लेकर अंदर फैक्ट्री परिसर में घुस गये, वहां पर मौजूद उसके साझेदार विजेन्द्र पुत्र शिवकरण, राजेन्द्र, उसके भतीजे अंकित कुमार, रसोईया खेताराम पर जान लेवा हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई तथा वे बेहोश हो गए। उन लोगों ने विजेन्द्र, राजेन्द्र, अंकित कुमार, उसका मोबाईल सैट, जेबों में रखे हुए कागजात, रूपये, राजेन्द्र की सोने की चैन, अंगूठी जबरन छीन लिए तथा उनके ऑफिस के दरवाजे, खिड़कियों सीसीटीवी

कैमरे तोड़ दिए। वहां खड़ी हुई उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। उनकी मशीनरी में तोड़–फोड़ कर दी। उनकी गाड़ियों की चाबियां, ऑफिस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की मशीन, एलसीडी सैट, इन्वर्टर सैट, कागजात एवं रूपये जबरन उठाकर ले गए, और वहां मौजूद कर्मचारियों के भी मारपीट की गई.. आदि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना नवलगढ़ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–28/16 अन्तगर्त धारा 147, 148, 149, 341, 323, 307, 448, 455, 427, 397 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज की गई एवं बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 341, 323, 307, 448, 455, 427, 397 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवलगढ़, जिला झुन्झुनू के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से प्रकरण को श्रीमान सेशन न्यायाधीश झुन्झुनू को कमिट किया गया। कालांतर में उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा को अंतरित किया गया।

2. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 148, 455, 341, 323/149, 325/149, 427/149, 397/149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए। अभियुक्तगण ने आरोप को सुन समझकर अपराध से इन्कर किया और अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 02 व 03 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये, पृष्ठ संख्या 03, 04 व 05 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये तथा भौतिक साक्ष्य में पृष्ठ संख्या–05 व 06 पर वर्णित वस्तुओं को प्रदर्शित करवाया गया।

4. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन गवाहान की साक्ष्य को गलत होना बताया एवं कथन किया कि वे निर्दोष हैं तथा उन्होनें कोई अपराध कारित नहीं किया। अभियुक्तगण ने बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

5. यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण के अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र श्री मंगलाराम, निवासी रणवां की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुन्झुनू की मृत्यु होने से अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई।

6. यहां न्यायालय यह उल्लेख करना समीचीन पाता है कि प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के दौरान अभियोजन की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत फोटोग्राफ प्रदर्श पी–57 लगायत 106 को प्रदर्शित करवाए जाने पर अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से आपत्ति दर्शित की थी। न्यायालय द्वारा आपत्ति को सुरक्षित रखते हुए फोटोग्राफ प्रदर्शित करवाए जाने की अनुमति दी गई थी। सर्वप्रथम उक्त आपत्ति का निस्तारण किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है।

7. दौराने बहस विद्वुषी अपर लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन की ओर से प्रदर्शित फोटोग्राफ प्रदर्श पी–57 लगायत 106 चक्षुदर्शी गवाह पी.ड.13 जितेन्द्र द्वारा अपने मोबाईल से खींचे गये थे और अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी द्वारा शामिल पत्रावली किए गए थे। फोटोग्राफ अभियुक्तगण द्वारा की गई घटना की ताईद कर रहे है। उक्त फोटोग्राफ मोबाईल से खीचें गये थे, जिसके नेगेटिव नहीं होते हैं। अतः फोटोग्राफ साक्ष्य में ग्राह्य किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि उक्त फोटोग्राफ अनुसंधान अधिकारी द्वारा नहीं खींचे गये और परिवादी पक्ष द्वारा खीचें गये हैं। फोटोग्राफ के संबंध में गवाह द्वारा स्वयं का 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त फोटोग्राफ साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

8. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि गवाह पी.ड.13 जितेन्द्र ने मुख्य परीक्षण के दौरान स्वयं द्वारा खीचें गये फोटोग्राफस को प्रदर्शित करवाना चाहा, जिस पर अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा

आपत्ति व्यक्त की गई। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित फोटोग्राफ प्रदर्श पी–57 लगायत पी–106 गवाह पी.ड.13 जितेन्द्र द्वारा खीचें गये हैं किन्तु उक्त फोटोग्राफ की नेगेटिव फोटोग्राफस के साथ पेश नहीं किए गए है। अपर लोक अभियोजक ने फोटोग्राफ मोबाईल से खींचना जाहिर किया है किन्तु इस संबंध में गवाह का धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। जिसके अभाव में न्यायालय द्वारा उक्त फोटोग्राफ को साक्ष्य में ग्राह्य किए जाने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित नहीं पाता है और अधिवक्ता अभियुक्तगण की आपत्ति स्वीकार करते हुए फोटोग्राफ प्रदर्श पी–57 लगायत पी–106 साक्ष्य में अग्राह्य किए जाते हैं।

9. न्यायालय द्वारा बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विदुषी अपर लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने अपनी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त लाठियों की बरामदगी हुई है एवं परिवादी पक्ष से लूटकर ले जाये गये रूपयों की बरामदगी भी हुई है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

10. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण के परिवादी ने लिखित रिपोर्ट में करीब 30 से अधिक व्यक्तियों को नामजद किया किन्तु प्रकरण में केवल 10 व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षीगण एवं आहतगण ने मारपीट करने वालों में महिलाओं का भी शामिल होना बताया है किन्तु विचाराधीन अभियुक्तगण में एक भी महिला अभियुक्त के रूप में संयोजित नहीं है। अभियुक्तगण से जो रूपयों की बरामदगी हुई है, वह परिवादी पक्ष के कब्जे से लूटे गये रूपये ही हों, यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। चिकित्सक द्वारा आहतगण की चोटें प्रकृति के सामान्य आशय के अग्रसरण में प्राणघातक रही हो, इस बाबत कोई साक्ष्य नहीं दी गई है। जिस चिकित्सक द्वारा आहतगण का उपचार किया गया, उसे बतौर गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया गया है। अभियुक्तगण को प्रकरण में फंसाया गया है और अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं। अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य भी साबित नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर परिवादी पक्ष के कब्जे से सीसीटीवी, सोने की चैन व अंगूठी, रूपये, मोबाईल इत्यादि सामान लूटा गया हो। अभियोजन गवाहान की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

11. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु यह उद्भुत होता है ''

"क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 16.01.2016 को समय करीब 11:00 बजे मौजा ग्राम मोहनवाड़ी सेठ वाली प्याउ से खिरोड़ रास्ते पर स्थित फैक्ट्री पर परिवादी पक्ष के साथ मारपीट करने के सामान्य उद्देश्य से घातक हथियारों से सुसज्जित होकर अवैध जमाव का गठन कर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया, विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में परिवादी पक्ष के मकान, फैक्ट्री में उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार किया तथा मजरूब राजेन्द्र को घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ परिवादी पक्ष के ऑफिस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की मशीने, एलसीडी सैट, इन्वर्टर सैट, कागजात, सोने की चैन व अंगूठी व रूपये जबरन लूटकर/उठाकर डकैती की, परिवादी पक्ष के विजेन्द्र, राजेन्द्र, खेताराम व अंकित को दिशा विशेष में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया और उनके साथ कुंदालय से मारपीट कर साधारण उपहति एवं आहत राजेन्द्र व विजेन्द्र को घोर उपहति कारित की और परिवादी पक्ष के वाहनों, सीसीटीवी कैमरे, एलसीडी सैट, दरवाजे व अन्य सामान को तोड़कर स्वेच्छया रिष्टि कारित की ? यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?

12. उक्त विचारणीय बिन्दुओं को सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस संबंध में कुल 34 गवाहों को साक्ष्य में पेश कर परीक्षित करवाया गया है। सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध समान अपराध का आरोप है। अतः समस्त अपराधों के संबंध में साक्ष्य का विवेचन एक साथ किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है। वर्तमान प्रकरण परिवादी सुभाषचंद द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के आधार पर संस्थित हुआ है। परिवादी सुभाषचंद न्यायालय के समक्ष पी.ड.15 के रूप में परीक्षित हुआ है। परिवादी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि ग्राम पंचायत मोहनवाड़ी क्षेत्र में सेठ वाली प्याउ से खिरोड़ जाने वाली निर्मित ग्रेवल सड़क के रास्ते पर उसकी बालाजी एसोशियट्स के नाम से मिनरल ग्राईंडिंग यूनिट है, जिसमें बिजेन्द्र सिंह सुण्डा उसका साझेदार था। दिनांक 16.01.2016 को समय 11.00 एएम पर वह, उसका भाई ओमप्रकाश, उसका भतीजा अंकित कुमार, बिजेन्द्र सिंह सूण्डा, बिजेन्द्र का भाई जितेन्द्रसिंह एवं राजेन्द्र सिंह एवं उसका मुनीम मोहनलाल, उसका रसोईयां खेताराम एवं पांच मजदूर/श्रमिक वहां थे। उस दिन वे अपनी ग्राईंडिंग यूनिट की पूजा–पाठ कर रहे थे जो ऑफिस में कर रहे थे। रसोईयां खेताराम रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। मोहनलाल प्लांट की तरफ था। उनकी फैक्ट्री का मैन गेट बंद था, उसको खोलकर भोपालसिंह, धर्मपालसिंह, सज्ञना देवी, मनोहरलाल, मंजू देवी, राजेन्द्र कुमार, पूजा, परमेश्वरी, हरिराम, कमला देवी, देवकरण, सुन्दरी देवी, दिनेश कुमार, अशोक कुमार, श्रीराम पुत्र मंगलाराम रणवां, ताराचंद, सुरेन्द्र पुत्र मंगलाराम रणवां, सावित्री पत्नी शुभलाल, मूलाराम, सुरेन्द्र पुत्र मूलाराम, ओपेन्द्र, तीजा देवी, श्रीराम पुत्र मंगलाराम नेहरा, विधाधर, बजरंगलाल, संतोष देवी, जयचंद, बिदामी देवी, सावित्री देवी पत्नी श्रीराम नेहरा ये सभी एवं इनके अतिरिक्त करीब 10–15 महिला एवं पुरूष उनके परिसर में घूस गए, ये लोग हाथों में लाठियां, सरियें, एंगल, पत्थर एवं धारदार औजार लेकर उनके परिसर में उन्हें मारने की पूरी तैयारी करके अंदर आ गए। मूलाराम, हरिराम, भोपालसिंह, मनोहरसिंह, श्रीराम ने आकर जोर से कहा कि इनको सबको जान से मारना है और वो उन्हें मारने लग गए। इनमें से बजरंगलाल, संतोष देवी, श्रीराम रणवां ने उसके साथ मारपीट की और श्रीराम रणवां ने उसकी जेब से जबरन 950/–रूपये जिसमें एक नोट 500 का, 4 नोट 100–100 के, एक नोट 50 का जबरन छीन लिया **एवं अशोक कुमार ने उसका नोकिया कम्पनी का मोबाईल** भी जबरन छीन लिया। इन लोगों ने बिजेन्द्र सिंह, अंकित कुमार, राजेन्द्र कुमार, खेताराम के साथ खूब मारपीट की। बिजेन्द्र के सरिया, लाठी एवं धारदार औजार से उसके दोनों पैर तोड़ दिए, दोनों हाथ तोड़ दिए और सिर पर भी गंभीर चोटें मारी, जिससे वो मरने की स्थिति में चला गया था। अंकित कुमार, राजेन्द्र व खेताराम के साथ भी जान से मारने की नियत से सरिये, लाठी व धारदार औजारों से इन लोगों ने मारपीट की, जिससे अंकित के पैरों में धारदार सरियों से छेद हो गए और पूरे शरीर पर लाठियों से खून मारा, राजेन्द्र के पैरों, हाथों पर एवं पूरे शरीर पर खूब चोटें मारी जो जान से मारने की नियत से मारी, खेताराम के भी जान से मारने की नियत से खून चोटें मारी, जिससे उसका होंठ भी कट गया, पैरों में व हाथों में चोटें लगी। ये लोग पूरी तैयारी करके उन्हें जान से मारने की नियत से, लूटपाट करने की नियत एवं डकैती की नियत से आए थे। इन्होंने उनके ऑफिस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरें, एलईडी, डीवीआर, हमारे कागजात् एवं अन्य सामान लूटकर ले गए। इन्होंने उनके ऑफिस में लगे दरवाजे, खिड़कियां, कुर्सियां, टेबलों को भी तोड़ा–फोड़ा एवं बाहर खड़ी हुयी उनकी दो स्कॉरपिओ गाड़ी, दो मोटरसाईकिल, एक स्वीफ्ट कार में भी खूब तोड़–फोड़ की, शीशे बोनट बॉडी को लाठियों, सरियों से तोड़–फोड़ दिया एवं इन गाड़ियों की चाबियां एंव कागजात् भी निकालकर ले गए। ये लोग अंकित कुमार का मोबाईल हैण्ड सैट, राजेन्द्र के सोने की चैन अंगुठी जबरन लूटकर ले गए। इन लोगों ने उनकी मशीनरी में भी तोड़–फोड़ की। इससे पहले इन लोगों ने उनकी गाड़ियां जो पहाड़ी से कच्चा माल लेकर आ रही थी, उनको मैन रास्ते में जबरन खाली करवा लिया, जिससे रास्ता बंद हो गया। इन लोगों

ने यह इस नियत से किया कि वे जब घटना घटित करेंगें तो पुलिस एवं एम्बूलेंस की गाड़ियां या अन्य कोई व्यक्ति इनके बचाव के लिए नहीं आ पाए। ये लोग काफी देर तक वहां ताण्डव मचाते रहे। उसके भाई ओमप्रकाश, जितेन्द्र सिंह को भी इन्होंने मारा–पीटा। इन लोगों के रास्ते को ब्लॉक करने के कारण एम्बूलेंस को उनके पास आने में दिक्कत होने की वजह से विजेन्द्र सिंह, अंकित कुमार, राजेन्द्र एवं खेताराम का काफी खून बह गया। एम्बूलेंस उनके पास नहीं पहुंच पाने के कारण उन्होनें अपनी टूटी हुयी स्वीफ्ट कार से दूसरे दुर्गम रास्ते से निकलकर बसावा पहुंचे। जहां एम्बूलेंस मिली। उसमें वे इन सबको लेकर सरकारी अस्पताल नवलगढ़ गए। नवलगढ़ अस्पताल से इन्हें सीकर अस्पताल के लिए रैफर कर दिया। उसके पश्चात् बिजेन्द्र की स्थिति गंभीर थी, वो मरने की स्थिति में था तो सीकर से उन्हें जयपुर एसएमएस के लिए रैफर किया गया। वहां उनका ईलाज करवाया गया। बिजेन्द्र वहां पर करीब 7–8 दिन तक भर्ती रहा था। मारपीट करने से उनकी फैक्ट्री कैम्पस में काफी खून बिखर गया था। गाड़ियों के शीशे भी टूट–फूट गए थे। उनके ऑफिस के आस–पास फेंके हुए पत्थर भी पड़े थे। ये लोग सुनियोजित तरीके से पहले मूलाराम के घर पर एकत्रित हुए थे, बाद में घटना को अंजाम देने के लिए उनकी फैक्ट्री में आए थे। मूलाराम, हरिराम, भोपालसिंह, श्रीराम, सुरेन्द्र कुमार उससे यह बोलते थे कि सेठ तेरे को यदि यहां पर फैक्ट्री चलानी है तो उन्हें रूपये हफ्ता वसूली रंगदारी के देने पड़ेगें नहीं तो किसी भी स्थिति में तेरे को यहां फैक्ट्री नहीं चलाने देगें एवं जान से मार देगें। उसने जो मुलजिमानों के नाम लिखवाए है, इनके अतिरिक्त एक मूलाराम का बेटा और भी था, जिसका नाम आज उसे याद नहीं आ रहा है। वाहन आर जे 18 यूसी 0101 स्कॉरपिओ गाड़ी जो उसके भतीजे अंकित के नाम से है, उसको इन लोगों ने तोड़ा था, इसके अलावा एक स्कॉरपिओ गाड़ी नंबर आर जे 18 यूए 7951 को भी इन लोगों ने तोड़ा था, दो मोटरसाईकिल नंबर आर जे 18 आगे का नंबर अभी उसे याद नहीं है एवं एक स्वीफ्ट कार नंबर आर जे 18 सीसी 5451 फिर कहा कि 5452 फिर कहा कि आर जे 18 के आगे सीसी उसे पूरा याद नहीं है, को भी इन लोगों ने तोड़ा था।

13. गवाह पी.ड.15 ने आगे मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि इस बात की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना नवलगढ़ में दिनांक 16.01.2016 को करवाई थी जो शाम को 5.30 पीएम पर करवाई थी जो उसकी हस्तलिखित है जो लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 108 है। जिसकी चाक एफ आई आर प्रदर्श पी 109 है। दिनांक 17.01.2016 को पुलिस हमारी फैक्ट्री में आई थी जो करीब 10.30 एएम पर आई थी तथा पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–मौका प्रदर्श पी 10 तैयार किया था, उस समय उसके अलावा मोहनलाल व जितेन्द्र जी थे। उसी समय वहां पर उनकी जो टूटी–फुटी गाड़ियां एवं मोटरसाईकिल खड़ी थी, उनका भी पुलिस द्वारा निरीक्षण किया गया तत्पश्चात् दो स्कॉरपिओ, एक स्वीफ्ट, दो मोटरसाईकिल को पुलिस वालों ने उन्हें सुपुर्द कर दी। फर्द निरीक्षण क्षतिग्रस्त स्कॉरपिओ नंबर आर जे 18 यूसी 0101 प्रदर्श पी 11 है, फर्द निरीक्षण क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल नंबर आर जे 18 3एम 0056 प्रदर्श पी 12 है। फर्द निरीक्षण क्षतिग्रस्त स्कॉरपिओ गाड़ी आर जे 18 यूए 7951 प्रदर्श पी 13 है। फर्द निरीक्षण क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल नंबर आर जे 18 एसजी 8761 प्रदर्श पी 14 है। फर्द निरीक्षण क्षतिग्रस्त स्वीफ्ट वीडीआई नंबर आर जे 18 सीए 5452 का निरीक्षण कर फर्द तैयार की थी जो प्रदर्श पी 110 है। दिनांक 19.01.2016 को पुलिस थाना नवलगढ़ में बिजेन्द्र सिंह, राजेन्द्र कुमार, खेताराम के कपड़े थैली में डालकर जिसमें बिजेन्द्र सिंह का एक कॉट जो ब्लू कलर का फिर कहा कि स्काई ब्लू अंदर से रेड़ कलर का था उसके टॉपी लगी हुयी थी जो एडिडास कम्पनी का था जो जगह–जगह से खून से भरा हुआ था, राजेन्द्र का एक चैकदार पायजामा एवं शर्ट जिस पर भी खून के काफी निशान थे, उस शर्ट पर हीरालाल का स्टीकर था व खेताराम का चैकदार शर्ट था जिस पर भी खून लगा हुआ था, जो उसने पुलिस थाने में जमा करवाए थे। वहां पर उसके साथ जितेन्द्र सिंह एवं उसके भाई ओमप्रकाश भी थे। पुलिस ने उनको अपने

पास रख लिया। जिसके कागज बनाए थे और उस पर उसके फिर कहा कि उन तीनों के साईन करवाए थे। फर्द जब्ती पारचाजात बिजेन्द्र, राजेन्द्र व खेताराम प्रदर्श पी 35 है। अंकित, खेताराम व राजेन्द्र को एस एके अस्पताल सीकर में भर्ती करके ईलाज करवाया था। इनका 4–5 दिन ईलाज चला था। पुलिस ने वहां पर मौके पर हमारी फैक्ट्री में दिनांक 17.01.2017 को फिर कहा कि 17.01.2016 को फोटोग्राफी की थी जहां घटना घटित हुयी थी, वहां कमरो की खिड़कियां, दरवाजे, शीशे, कैमरे, गाड़ियां एवं वहां बिखरे हुए खून की फोटोग्राफी भी करवाई थी। तोड़फोड़ करने से उसकी फैक्ट्री में करीबन 10 लाख रूपये का नुकसान हो गया था।

14. प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि उनका जो क्रेशर था वो 970/140 खसरा नंबर में नहीं था। उसने भूमि को कन्वर्ट करवाया तब औद्योगिक प्रयोजन हेतु कन्वर्ट करवाने के साथ मिनरल ग्राईडिंग यूनिट हेतु भी कन्वर्ट करवाया था। पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र उसने लिया था। ग्राम पंचायत मोहनवाड़ी के सरपंच व पदेन सचिव ने उनके द्वारा अवैध रूप से क्रेशर स्टोन संचालित करने के संबंध में ग्राम पंचायत मोहनवाड़ी की मीटिंग हुई हो, जिसका कार्यवाही विवरण रजिस्टर प्रदर्श डी–3 की उसे जानकारी नहीं है। यह सही है कि उसने सजना देवी व भोपाल सिंह का मारपीट करने वालो में नाम लिखवाया है। यह सही है कि सजना देवी ने उसके खिलाफ एसीजेम नवलगढ़ में छेड़छाड़ करने और गाली–गलौच करने का इस्तगासा पेश किया था। औरतों ने उनके साथ मारपीट की थी जिससे बिजेन्द्र के खून आया था। धारदार हथियार से कितनी चोटें बिजेन्द्र के लगी, यह उसने गिनी नहीं। औरतों ने धारदार हथियारों से कितनी चोटें मारी, यह उसने गिनी नहीं। उसके चोट नहीं आई थी, वैसे ही लगी थी। उसने बजरंगलाल, संतोष देवी, श्रीराम रणवां ने उसके साथ मारपीट करने की बात पुलिस को बताई थी लेकिन यह बात प्रदर्श डी–2 में नहीं लिखी हुई है। गवाह ने स्वीकार किया कि बिजेन्द्र, राजेन्द्र, अंकित व खेताराम के साथ किस–किस व्यक्ति ने किस हथियार से मारपीट की, यह बात उसने पुलिस को नहीं बतायी थी। गवाह ने स्वीकार किया कि जो लोग मिनरल ग्राईडिंग यूनिट नहीं चलाने का विरोध कर रहे थे, उनका नाम उसने लिखवा दिया था। पुलिस ने घटनास्थल से टूटे हुए सीसीटीवी, एलसीडी, कम्प्यूटर वगैरह के टूटे हुए टुकड़े जब्त नहीं किए थे। उसने अपने मुख्य परीक्षण में यह बता है कि ''मूलाराम, हरिराम, भोपाल सिंह, मनोहर सिंह, श्रीराम ने आकर जोर से कहा कि इन सबको जान से मारना है, और वो उन्हें मारने लगे, यह बात उसने लिखित रिपोर्ट मे नहीं लिखी। गवाह ने स्वीकार किया कि जिस मनोहर द्वारा मारपीट में शामिल होना व उनके साथ मारपीट करने की बात वह बता रहा है, उसके खिलाफ हत्या के एक प्रकरण में उसने गवाही दी थी। उसने अपने मुख्य परीक्षण में बतायी बात ''इससे पहले इन .... जहां एंबुलेंस मिली।'' की बात उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी–108 में नहीं लिखी। पुलिस जब मौके पर आई तब पुलिस को उन्होनें वो पत्थर दिखा दिये थे, पुलिस उन पत्थरों को लेकर नहीं गयी थी। उन पत्थरों को लिखापढ़ी करके वहीं छोड़ गयी थी।

15. अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पी.ड.2 मोहनलाल को बतौर चक्षुदर्शी साक्षी परीक्षित करवाया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना 16 जनवरी 2016 के दिन के 11.00 बजे की है। वह सेठा वाली प्याउ खिरोड़ रोड़ पर डस्ट फेक्ट्री में मुनीम का काम करता था। उस फेक्ट्री के पार्टनर सुभाष, विजेन्द्र है। उस समय उसके अलावा फेक्ट्री में सुभाष, अंकित, विजेन्द्र, जितेन्द्र, राजेन्द्र व खेताराम थे। ये सब लोग फेक्ट्री के अंदर पूजा–पाठ कर रहे थे। खेताराम वहां रसोई का काम कर रहा था। एक राय होकर सभी फेक्ट्री के अंदर घुसे, जिसमें भोपाल, सज्ज्ना, धर्मपाल, मनोहरलाल, हरिराम, देवकरण, सुमित्रा, सुंदरी, कमला, परमेश्वरी, श्रीराम, मूलाराम, मूलाराम का पुत्र सुरेन्द्र, सुभाष, उपेन्द्र, दिनेश, अशोक थे तथा अन्य भी व्यक्ति थे जिनका नाम आज उसे याद नहीं है। ये सभी लोग अपने साथ लाठी, सरिया व ईंगल लेकर आए थे। वो व्यक्ति मैन गेट को

खोलकर अंदर घूसे थे। उन लोगों ने फेक्ट्री में आते ही ऑफिस का गेट खोला और वहां आकर सुभाष, विजेन्द्र, अंकित, ओमप्रकाश, राजेन्द्र के साथ लाठियों, सरियों व ईंगलों से मारपीट की तथा वहां रसाईये खेताराम के साथ भी इन लोगों ने भी मारपीट की। विजेन्द्र के हाथ, पैर व सिर में चोट आई थी। सुभाष के साथ थापा–मुक्कों से मारपीट की थी। खेताराम के भी मारपीट से हाथ, पैर, मुंह के होट पर चोटें आई थी। फेक्ट्री में उन लोगों ने दरवाजा, टेबल, कुर्सी, एलईडी, इन्वेटर, कैमरा तथा वहां खडी दो स्कार्पियों गाड़ी, एक स्वीफ्ट गाडी व मोटरसाईकिल के साथ तोड़–फोड की। फेक्ट्री में रखे कागजात, इन्वेटर, रूपये, एलईडी, कैमरे व सीसीटीवी कैमरे आदि सामान मुल्जिमान लूटकर ले गए। मुल्जिमान फेक्ट्री चलाने वालों से फेक्ट्री चलाने के बदले में पैसों की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि बिना पैसों के फेक्ट्री नहीं चलने देगें। मुल्जिमानों ने फेक्ट्री के रास्ते को मिट्टी डालकर रोक दिया था जिससे कि एम्बूलेंस नहीं आ सकें और मजरूबान को अस्पताल में नहीं ले जाया जा सकें। उक्त सभी मुल्जिमानों ने फेक्ट्री के व्यक्तियों पर जानलेवा हमला किया था। फिर मजरूबान को दूसरे रास्ते से निकालकर नवलगढ़ अस्पताल लेकर गए थे। विजेन्द्र के हाथ–पैर में गंभीर चोटें आई थी। मारपीट करके मजरूबान को मुल्जिमानों ने जमीन पर डाल दिया था तथा मौके पर खून भी पड़ा था। खेताराम के साथ भी रसोई में घूसकर मुल्जिमान ने मारपीट की थी। घटना उसके सामने हुई थी। मजरूबान को उसी टूटी हुई गाड़ी से दूसरे रास्ते से नवलगढ़ अस्पताल लेकर गए थे जहां से उनको बाद में सीकर रैफर किया था। घटना के दूसरे दिन मौके पर पुलिस आई थी तथा उसके व ओमप्रकाश के समक्ष तथा सुभाष के समक्ष पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–मौका देखा था जो प्रदर्श पी 10 है। पुलिस ने उसके सामने टूटी हुई स्कार्पियों गाड़ी का निरीक्षण किया था। फर्द निरीक्षण क्षतिग्रस्त स्कार्पियों गाड़ी प्रदर्श पी 11 है। उसके सामने फेक्ट्री में टूटी हुई मोटरसाईकिल का निरीक्षण कर फर्द तैयार की थी जो प्रदर्श पी 12 है। उसके सामने एक दूसरी स्कार्पियों गाड़ी का निरीक्षण का फर्द तैयार की जो प्रदर्श पी 13 है। दूसरी मोटरसाईकिल का भी निरीक्षण कर फर्द तैयार की थी जो प्रदर्श पी 14 है। उक्त फर्दात पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर होने बताए हैं। प्रदर्श पी 10 लगायत प्रदर्श पी 14 तक घटनास्थल फेक्ट्री में जहां वाहन टूटे हुए थे तथा जहां वारदात हुई थी वहीं फर्दे बनाई थी तथा हस्ताक्षर भी वहीं करवाए थे। उसके अलावा उस समय सुभाष व ओमप्रकाश भी थे। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी। गवाह ने स्वीकार किया कि घटना के वक्त वह छिप गया था। जब वह पहुंचा तब उसने चार व्यक्तियों के चोटें देखी थी तथा उनके कपड़े भी खून से सने हुए थे, जगह–जगह चोटें थी, अंदरूनी चोटें भी थी। उसने घटना देखी, यह बात उसने पुलिस को बता दी थी लेकिन उसके पुलिस बयान में क्यों नहीं लिखी, उसे नहीं पता। ऑफिस में घुस गए और रूपये लूट लिए, यह बात उसने पुलिस को बतायी थी, पुलिस ने अपने बयान प्रदर्श डी–1 में क्यो नहीं लिखा, उसे नहीं पता।

16. गवाह पी.ड.3 खेताराम भी प्रकरण का आहत एवं चक्षुदर्शी साक्षी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना सन 2016 की दिन के 11.00 बजे की है। मोहनवाडी स्थित सेठ जी की प्याउ के पास में बजरी की फेक्ट्री स्थित है। जिसमें वह रसाईये का काम करता था। उस समय फेक्ट्री पर उसके अलावा, सुभाष, अंकित, विजेन्द्र, ओमप्रकाश, जितेन्द्र, राजेन्द्र आदि भी उपस्थित थे। मोहन भी वहीं था जो उस फेक्ट्री में मुनीम का काम कर रहा था। सुभाष, विजेन्द्र, अंकित व राजेन्द्र तथा ओमप्रकाश फेक्ट्री में ऑफिस में पूजा का काम कर रहे थे तथा वह रसोई का काम कर रहा था। उसी समय फेक्ट्री में भोपाल, सज्ज्ना, धर्मपाल, मनोहर, मंजू, श्रीराम, सुभाष, सुरेन्द्र, जितेन्द्र, उपेन्द्र, दिनेश, अशोक, हरिराम, कमला, बादामी, परमेश्वरी, सावित्री, तिजा, देवकरण आदि 30–35 व्यक्ति आए। जिनके हाथ में लकडी, सरिया व ईंगल थे। वो लोग गेट को खोलकर ऑफिस में आ गए तथा वहां पर लगे सीडी, कैमरा, एलईडी, कुर्सी व अन्य ऑफिस का सामान साथ ले गए। वहां

पर दो स्कार्पियों गाडी व दो मोटरसाईकिल, एक छोटी गाड़ी थी। जिनको इन लोगों ने तोड़ दिया। मारपीट में विजेन्द्र सूण्डा, राजेन्द्र, अंकित व उसके चोट आई थी। विजेन्द्र के सिर में व पैर में चोट आई थी। उसके पैर में अब रोड़ लगी हुई है। राजेन्द्र के भी हाथ व पांव में चोट आई थी। उसके पांव, हाथ व होठ में चोट आई। अंकित के पांव, पीठ में चोट आई और उसको नीचे गिरे हुए को पीटते रहे। घटना उसके सामने हुई थी, वह साईड में था। मुल्जिमान ने रास्ते में मिट्टी डालकर रास्ते को रोक दिया जिससे पुलिस वहां पर आ नहीं पाई। फेक्ट्री में मुल्जिमान ने इसलिए वारदात की क्योंकि वो फेक्ट्री मालिक से रूपये मांग रहे थे और कहते थे कि हमें पैसे दो नहीं तो हम फेक्ट्री चलाने नहीं देगें। वो लोग उसे भी कहते थे कि आप फेक्ट्री में मत रहों नहीं तो हम आप को भी मारेंगे। उसे नवलगढ़ अस्पताल में गाड़ी से लेकर आए थे। उसे ओमप्रकाश जी गाड़ी में लेकर आए थे जो दूसरी तरफ से कच्चे रास्ते से लाए थे क्योंकि मुख्य रास्ते को इन लोगों ने बंद कर दिया था। उसका नवलगढ़ अस्पताल में चोटों का मेडिकल मुआयना हुआ था। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि 40–50 आदमी थे, जिनमें औरतें भी थी। वह सारे 40–50 आदमियों के नाम नहीं बता सकता। वह जिनको पहचानता है, उनके ही नाम बताए हैं। गवाह ने स्वीकार किया कि देवकरण, सुरेन्द्र, परमेश्वरी, सावित्री, विधाधर, तिजा, संतोष मारपीट करने वालों में थे, अज खुद कहा तभी तो इनके नाम लिखवाए हैं। उस पर हमला बाकियों के साथ मारपीट करने के बाद आखिरी में हुआ था तथा वह रसोई के दरवाजे के पास थ। सजना ने उसके पैर पर मारी, अशोक ने उसके हाथ पर मारी और मनोज ने हाथ पकड़ा अज खुद कहा कि लकड़ी से मारी। सजना व अशोक ने उसके साथ लकड़ी से मारपीट की। उसके कितनी चोटें आई, उसने गिनती नहीं की।

17. गवाह पी.ड.6 अंकित कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि सुभाष उसके चाचा लगते है तथा विजेन्द्र सूण्डा व सुभाष ने सांझे में एक स्टॉन डस्ट की फैक्ट्री मोहनवाड़ी खिरोड़ रास्ते पर लगा रखी है। घटना दिनांक 16.01.2016 को दिन के करीबन 11.00 बजे की है। इस फैक्ट्री में उस दिन वह, उसके चाचा विजेन्द्र, उसके पिता ओमप्रकाश, विजेन्द्र सूण्डा, मुनीम मोहनलाल, जितेन्द्र सिंह, विजेन्द्र सूण्डा का भाई राजेन्द्र, रसोईयां खेताराम थे। उसके चाचा विजेन्द्र व सुभाष व उसके पिता, राजेन्द्र व वह स्वयं ऑफिस के अंदर पूजा–पाठ कर रहे थे तथा मोहनलाल फैक्ट्री की तरफ था तथा रसोईयां खेताराम रसोई में खाना बना रहा था। फैक्ट्री के मैनगेट की तरफ से आवाज आ रही थी, फैक्ट्री के अंदर से एक राय होकर सभी व्यक्ति लोहे का एंगल, सरिया, लाठी लेकर आए। उन व्यक्तियों में हरिराम, बजरंगलाल, देवकरण, अशोक, दिनेश, धर्मपाल, भोपाल, मनोहरलाल, सज्ञना देवी, मंजू देवी, कमला, सुंदर देवी, परमेश्वरी, तीजा, सावित्री, बिदामी, अशोक, श्रीराम, मनोहरलाल, सुरेन्द्र, उपेन्द्र, सुभाष, मूलाराम थे व अन्य व्यक्ति भी उनके साथ थे। ये सभी व्यक्ति वे जहां पर पूजा–पाठ कर रहे थे वहां आ गए। इन व्यक्तियों ने आते ही उसके पिता ओमप्रकाश व सुभाष, विजेन्द्र के साथ मारपीट की व उसके पिताजी व सुभाष के साथ थप्पड़ मारे व उसके साथ, विजेन्द्र व राजेन्द्र के साथ लोहे व लठ–सरियो से जानलेवा हमला किया, जिससे उनके हाथ–पैर टूट गए। उसके साथ सुरेन्द्र, सुभाष, मूलाराम, परमेश्वरी व सुंदर देवी ने मारपीट की, जिससे उसके दोनों पैरों, हाथ व मंगरो में चोट आई। इसके अलावा विजेन्द्र व राजेन्द्र के हाथ पैर इन लोगों ने तोड़ दिए थे तथा खेताराम जो रसोई में खाना बना रहा था उसके भी हाथ–पैर तोड़ दिए थे। इसके अलावा राजेन्द्र के साथ भी इन लोगों ने मारपीट की व उसके भी हाथ–पैर तोड़ दिए। उसके साथ लठ–सारियों व एंगलों से मारपीट की। वहां पर उनकी दो स्कॉरपिओ, एक स्विफ्ट गाड़ी, दो मोटरसाईकिल के साथ उन लोगों ने तोड़फोड़ की तथा उनकी उक्त गाड़ियों की चाबियां ले गए तथा ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे, एलसीडी, कैमरो की मशीन, फैक्ट्री के कागजात, इन्वर्टर, बैक्ट्री, सोने की अंगुठियां, डोरा लूट कर ले गए तथा **उसका नोकिया कम्पनी का मोबाईल जिसमें वोडाफोन की सीम थी,** वो भी ले गए। स्कॉरपिओ गाड़ी नंबर आर जे 18 यूसी 0101 के साथ तोड़ फोड़ की तथा फैक्ट्री

के गेट, जंगले वगैरह सब तोड़ दिए। उसके चाचा सुभाष व विजेन्द्र के साथ इस घटना से पहले भी सन् 2015 में भी इन लोगों ने मारपीट की थी। ये लोग मंथली रूपये मांग रहे थे और यह कह रहे थे कि हम फैक्ट्री नहीं चलने देगें। उनकी फैक्ट्री पर आकर मारपीट करने वाले व्यक्तियों को वह पहचानता है, क्योंकि वह पहले भी उसके चाचा के साथ फैक्ट्री पर आता–जाता रहता था। उसकी चोटों का ईलाज एस के अस्पताल सीकर में हुआ था तथा उसका मेडिकल भी हुआ था। उसके दोनों पैर फ्रेक्चर हो गए थे तथा उसके हाथों पर भी चोटें आई थीं। उसकी चोटों का ईलाज दो दिन अस्पताल में चला था।

18. प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि वर वक्त घटना वह तैयारी कर रहा था, नवलगढ़ में कोचिंग करता था। कोचिंग का नाम राईज कोचिंग था। वह वर्तमान में भी पढ़ाई कर रहा है। मोहरवाड़ी गांव वाले फैक्ट्री नहीं चलने देने के कारण फैक्ट्री के निर्माण के समय से ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसके एसके अस्पताल सीकर में बयान हुए थे, इसके अलावा उसके कोई बयान नहीं हुए। गवाह ने स्वीकार किया कि हरिराम, बजरंगलाल, देवकरण, अशोक, दिनेश, धर्मपाल, भोपाल, मनोहरलाल के पिता व उम्र का उसे नहीं पता। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि सजना देवी, मंजू देवी, कमला, सुंदर देवी, परमेश्वरी, तीजा, सावित्री, बिदामी के पति व इनकी उम्र का भी उसे नहीं पता। गवाह ने स्वीकार किया कि मुलजिमानों के साथ रहने का, उनसे बात करने का व उसके साथ मीटिंग करने का उसका काम नहीं पड़ा। गवाह ने स्वीकार किया कि फैक्ट्री में साधनों के आवागमन के लिए एक ही गेट है। उस समय 40–45 व्यक्ति फैक्ट्री में आ गये थे। यह सही है कि उसने जिन व्यक्तियों के नाम मुख्य परीक्षण में बताए हैं, उनके पिता व पतियों के नाम उसने पुलिस को अपने बयान में नहीं बताए और ना ही वह उनके घर गया था। गवाह ने स्वीकार किया कि किन–किन व्यक्तियों ने गाड़ियां तोड़ी, कितनी–कितनी चोटें मारी, इन्वर्टर तोड़े, सीसीटीवी व खिड़कियां तोड़ी, उनके नाम वह पर्टिकुलर नहीं बता सकता। यह सही है कि वह जो 40–50 आदमी बता रहा है, उनमें सभी के हाथ में क्या–क्या हथियार थे, वह नहीं बता सकता। अज खुद कहा कि सबके हाथ में हथियार थे।वह परमेश्वरी देवी व सुंदर देवी का जो मारपीट करना बता रहा है, वो मारपीट उसके साथ थप्पड़ मुक्कों से हुई थी। यह सही है कि परमेश्वरी देवी व सुंदर देवी के हाथ में कोई हथियार नहीं था। विजेन्द्र व राजेन्द्र के साथ किन–किन लोगों ने किस हथियार से मारपीट की, उसे नहीं पता।

19. गवाह पी.ड.7 ओमप्रकाश को भी अभियोजन की ओर से बतौर चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित करवाया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके छोटे भाई सुभाष व विजेन्द्र सुण्डा ने बालाजी एसोसिएट स्टॉन डस्ट फैक्ट्री मोहनवाड़ी में स्थापित कर रखी है जो शेख वाली प्याउ से खिरोड़ जाने वाली ग्रेवल रोड़ पर बनी हुयी है। घटना दिनांक 16.01.2016 की दिन के करीब 11.00 बजे की बात है। फैक्ट्री पर वह, सुभाष, विजेन्द्र, अंकित, जितेन्द्र, मोहनलाल व खेताराम थे। खेताराम रसोई में खाना बना रहा था, बाकी लोगों में विजेन्द्र, सुभाष, वह मुनीम मोहनजी व जितेन्द्र फैक्ट्री में स्थित ऑफिस में पूजा कर रहे थे। फैक्ट्री का गेट बंद था तभी इस फैक्ट्री में हरिराम, भोपाल, मनोहर, राजेन्द्र, मूलाराम, ओपेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्र मूलाराम, सुभाष, धर्मपाल, अशोक, सज्ञना, कमला, मंजू, परमेश्वरी, तीजू देवी, श्रीराम रणवा इस प्रकार कुल 30–35 महिला व पुरूष आए। इन लोगों के पास लाठी, सरिया, एंगल व पाईप लोहे की थी। ये सभी लोग फैक्ट्री का जो गेट बंद था उसको खोलकर अंदर जहां वे लोग पूजा कर रहे थे वहां आ गए। इन लोगों ने आ करके उसके व सुभाष के साथ थप्पड़ मुक्कों के साथ मारपीट की व विजेन्द्र सुण्डा को जान से मारने की नियत से हमला किया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई व उसके सिर में काफी टांके तथा उसके हाथ व पैर तोड़ दिए। इसके अलावा राजेन्द्र के साथ भी इन लोगों ने मारपीट की, उसका भी एक हाथ व एक पैर टूट गया। इसके अलावा अंकित के साथ इन लोगों ने मारपीट की, जिससे उसके दोनों पैरों में व एक हाथ पर व पीठ पर गंभीर चोटें आई तथा उसके दानों

पैर फैक्चर हो गए थे। खेताराम के एक हाथ व एक पैर पर चोटें आई थी तथा उसका होंठ कट गया था तथा उसका पैर फ्रेक्चर हो गया था तथा हाथ भी फ्रेक्चर हो गया था। उसके बाद में इन लोगों ने रास्ते पर मिट्टी डाकर रास्ते को जाम कर दिया और फैक्ट्री के अंदर शीशा तोड़ दिया, कैमरा तोड़ दिया, आलमारी तोड़ दी तथा दो स्कॉरपिओ गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा दो मोटरसाईकिल व एक सूजूकी मारूती को तोड़ दिया तथा इसमें एक स्कॉरपिओ गाड़ी के नंबर 101 थे। एलईडी वगैरह तोड़ दी तथा जो भी एलईडी के साथ में सामान था उसको क्षतिग्रस्त कर दिया तथा उसके साथ में जो सामान था वो ले गए। राजेन्द्र की एक सोने की अंगुठी व एक सोने की चैन व 500 रूपये ले गए। स्कॉरपिओ की चाबी छीनकर ले गए तथा मोबाईल ले गए। मोबाईल राजेन्द्र का था तथा एक सुभाष का मोबाईल भी था वो भी ले गए। ये लोग सीसीटीवी का सारा सामान ले गए तथा जान से मारने की नियत से इन लोगों ने एक साथ होकर तथा अचानक फैक्ट्री के अंदर आकर हम लोगों पर हमला किया। 108 एम्बूलेंस को इन लोगों ने नहीं आने दिया तथा रास्ते में मिट्टी डालकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया। मारूति जो क्षतिग्रस्त थी उसमें मजरूबान विजेन्द्र, खेताराम, अंकित, राजेन्द्र को दूसरे रास्ते से बसावा ले जाकर वहां एम्बूलेंस में से डालकर नवलगढ़ सरकारी अस्पताल में लेकर गए थे। फिर विजेन्द्र के गंभीर चोटें थी इस कारण उसको एस एम एस जयपुर के लिए रैफर कर दिया गया व अंकित, खेताराम, राजेन्द्र को सीकर एस के अस्पताल में रैफर कर दिया गया। मौके पर वह, सुभाष, विजेन्द्र, मोहन जी और जितेन्द्र, खेताराम, राजेन्द्र थे। हरिराम जी, मनोहर जी, भोपाल जी, श्रीराम जी रणवां, मूलाराम जी ने पहले कहा कि पैसे दो, प्लांट चलाओगे तो पैसे दो नहीं तो हम प्लांट नहीं चलाने देगें। फिर इन लोगों ने प्री–प्लान करके लोगों को उकसाया व उन लोगों पर जानलेवा हमला किया। उसके सामने पुलिस दिनांक 17.01.2016 को मौके पर आई थी तथा पुलिस ने वहां आकर जहां पर घटना हुयी थी वहां पर नक्शा–मौका बनाया था उस समय वह, मोहनलाल, सुभाष उपस्थित थे। नक्शा–मौका प्रदर्श पी 10 है। उसी दिन पुलिस ने मौके पर जो खून पड़ा था वहां पर मौका–मुआयना किया तथा खून आलूदा मिट्टी व खून आलूदा पत्थर को सफेद कपड़े की थैली में डालकर गोल–मोहर लगाकर सील–मोहर किया व दूसरी प्लास्टिक की थैली में सादा मिट्टी व सादा पत्थर को डालकर सील–मोहर किया व मार्क बी अंकित किया। फर्द जब्ती खून आलूदा मिट्टी व पत्थर तथा सादा मिट्टी व पत्थर प्रदर्श पी 34 है। दिनांक 19.01.2016 को सायंकाल 5.00 बजे उसके सामने खेताराम का एक कमीज जो पट्टीदार था तथा फटा हुआ था तथा उस पर खून के धब्बे लगे हुए थे तथा विजेन्द्र का एक कोट था जो अंदर से लाल था जिस पर टोपी लगी हुयी थी तथा जिस पर चैन थी तथा खून के धब्बे लगे हुए थे तथा राजेन्द्र की एक पेंट व कमीज जिन पर खून के धब्बे लगे हुए थे, जब्त किए थे जो सुभाष ने पेश की थी। उस समय वह, सुभाष व जितेन्द्र तीनों थाने में थे वहां पर जब्त किए थे। फर्द जब्ती खून आलूदा पारचाजात प्रदर्श पी 35 है।

20. प्रतिपरीक्षा में गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि उन्होनें जब से फैक्ट्री लगायी तब से ही गांव वालों, ढ़ाणी वालों से उनका विवाद हो गया हो। गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उनकी फैक्ट्री के आगे इस घटना से पहले वहां के गांव वालों ने व अन्य गांव वालों ने धरना–प्रदर्शन किया हो, अज खुद कहा कि हरिरामजी के घर के सामने धरना–प्रदर्शन हुआ था, उस धरना प्रदर्शन में पुलिस आई हो और उसमें वह व सुभाष उपस्थित हुए थे या नहीं आज उसे ध्यान नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने अपने मुख्य परीक्षण में जिन मुलजिमान के नाम बताए हैं, उनसे उनका पहले से कोई विवाद नहीं था। उसके साथ मारपीट करने वाले जिन 30–35 लोगों के बारे में उसने बताया है, उसमें से किसी के पास लकड़ी थी, किस के पास सरिया था, तथा किसी के पास लोहे का पाईप था। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके हथियार की चोट नहीं आई थी, उसके तो थप्पड़ मुक्के ही लगे थे। किसने, किसको मारा, यह उसे नहीं पता, अज खुद कहा कि सभी ने सभी को मारा,

उसने उपर जिनके नाम बताए हैं, उन्होनें सभी को मारा। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिखे थे, रफ में लिखे थे, पुलिस ने उसके बयान उसके हाथ से नहीं लिखे थे। गवाह ने स्वीकार किया कि मनोहरलाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा चला था, उस प्रकरण में वह, उसका सगा भई सुभाषचंद गवाह थे। थप्पड़–मुक्कों की चोटें जो वह अपने लगना बता रहा है, वो उसने डॉक्टर को नहीं दिखायी थी, अज खुद कहा क्योंकि उसके फूट नहीं आई थी।

21. गवाह पी.ड. 11 हितेश थोरी को भी अभियोजन की ओर से बतौर चक्षुदर्शी साक्षी परीक्षित करवाया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह विजेन्द्र सुण्डा को जानता है। बसावा के पास उनकी क्रेशर की फैक्ट्री थी, जो बालाजी के नाम से थी। दिनांक 16.01.2016 को विजेन्द्र सुण्डा की फैक्ट्री में पूजा पाठ थी, जिसमें उसे भी बुलाया था। जिस पर वह बालाजी फैक्ट्री में गया। सुबह ग्यारह बजे की बात है। श्रीराम, मनोहरलाल, भोपाल, विधाधर, विजेन्द्र, अन्य श्रीराम, भोपाल की पत्नी सजना, भोपाल का लड़क, बजरंलाल व कुल 30–40 व्यक्ति मौजूद थे, जिनके हाथों में लाठियां, लोहे के सरिया व पाईप सभी क्रेसर फैक्ट्री के अंदर आ गए। इन लोगों ने विजेन्द्र, जितेन्द्र, ओमप्रकाश, सुभाष, अंकित, खेताराम, राजेन्द्र के साथ लाठियों व पाईपों से मारपीट की थी। वह बीच बचाव करने गया तो उन लोगों ने कहा कि तुम साईड में खड़े हो जाओ नहीं तो आप को जान से मार देगें। वहां पर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिये। वहां गाड़ियों की चाबियां वहां लगे कैमरे, कैमरे की मशीन, इन्वेटर, बैट्री, रूपये लेकर चले गये। विजेन्द्र के सबसे ज्यादा चोटें आई थी। विजेन्द्र के सिर पर हाथ व पैरों पर चोटें आयी थी। राजेन्द्र व खेताराम के भी चोटें आई थी। आये हुए व्यक्ति ने कहा कि उन्हें रूपये दो वरना वे क्रेशर चलने नहीं देगें। मजरूबान को अस्पताल ले जाने का रास्ता उन लोगों ने मिट्टी डालकर डंफरों से अवरोध कर दिया। जिससे वे उस रास्ते से अस्पताल में नहीं जा सके। जिससे उनको अस्पताल ले जाने में समय लगा। फिर मजरूबान को 108 एंबुलेंस से नवलगढ़ अस्पताल ले गये। फैक्ट्री चलाने की एवज में दस लाख रूपये मांग रहे थे। वह जो डंफर बता रहा है, वो क्रेशर की डस्ट से भरे हुए डंफर थे। उसे नहीं पता कि डंफर किसके पास थे, वो डस्ट कहां–कहां ले जा रहे थे। 15–20 महिलाएं थी, जिनके हाथों में सरिये, लाठियां व पाईप थी। उन औरतों ने उन तीन–चार व्यक्तियों के धड़ाधड़ मारी। उसके कोई चोट नहीं आयी। किसने किस हथियार से किसको मारा, वह नहीं देख पाया।

22. गवाह पी.ड.13 जितेन्द्र को भी अभियोजन की ओर से बतौर चक्षुदर्शी साक्षी परीक्षित करवाया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके एक पार्टनर है, जिसका नाम सुभाष जी है। उसने व सुभाष जी पार्टनर ने स्टॉन डस्ट का व्यवसाय कर रखा है जो रणवां की ढ़ाणी सेठों वाली प्याउ के पास कर रखा है। उनकी फर्म का नाम बालाजी एसोसिएट है। घटना वाली बात 16 जनवरी, 2016 के दिन के 11.00 बजे की है। उस समय उसके अलावा, ओमजी, सुभाष जी, विजेन्द्र जी, राजेन्द्र जी, अंकित, मुनीम मोहनलाल, खेताराम जी रसोईयां हम सभी फर्म पर थे। वह, सुभाष जी, राजेन्द्र, अंकित, मोहनलाल फैक्ट्री का शुभारम्भ करने बाबत् पूजा कर रहे थे तथा खेताराम रसोई घर में था। सुनियोजित तरीके से देवकरण, हरिराम, दिनेश, अशोक, सुन्दरी देवी, रामवतार, कमला, सावित्री, परमेश्वरी, बिदामी देवी, मूलाराम, सुरेद्र, सुभाष, उपेन्द्र, मंगला, मनोहर, भोपाल, धर्मपाल, पूजा, तीजा देवी, श्रीराम, श्रीराम नेहरा, राजेन्द्र, संतोष देवी, बजरंगलाल, जयचंद व अन्य 10–15 लोग हमारी फैक्ट्री पर आए। इन सबके हाथों में लाठियां, सरिया, धारदार हथियार, पत्थर व लोहे के रॉड वगैरह थे। ये सभी व्यक्ति जहां पर वे लोग पूजा कर रहे थे वहां आ गए और इन लोगों ने उनके पर हमला कर दिया। इन लोगों ने उन्हें जान से मारने की नियत से मारा था तथा उसके भाई विजेन्द्र के साथ में मारपीट की, जिससे विजेन्द्र के दोनों हाथ व दोनों पैर व सिर पर गंभीर चोट आई थी जिससे वो खून से लथपथ हो गया। राजेन्द्र के मारपीट में हाथ पर व पैर चोट लगी थी तथा अंकित के पैर में चोट आई थी तथा खेताराम के

होंठ पर व पैर पर चोट आई थी। इसके अलावा सुभाष जी, ओमजी के साथ भी मारपीट की जिनके साथ धक्का–मुक्की हुयी थी तथा थप्पड़ वगैरह मारे गए थे। इन लोगों ने मौके पर आकर सीसीटीवी कैमरे, इन्वेटर वगैरह व शीशे वगैरह को तोड़ दिया तथा दो स्कॉरपिओ गाड़ी, दो मोटरसाईकिल, एक स्वीफ्ट गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की तथा दोनों स्कॉरपिओ गाड़ी, दोनों मोटरसाईकिल व स्वीफ्ट गाड़ी की ये लोग चाबियां निकालकर ले गए। ये लोग मजरूबान के जेब से पैसे वगैरह ले गए तथा सीसीटीवी कैमरा के स्टॉरेज का सामान, इन्वेटर, बैटरी व एलईडी ले गए व जो सामान उनको ले जाना था वो सामान ले गए। जाते समय मुलजिमानों ने रास्ते में डम्फर से मिट्टी डालकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया, जिससे ना तो वे लोग चोटिल व्यक्तियों को ले जा सके और ना ही पुलिस वहां पर आ सके। चोटें लगने के कारण मजरूबान के पहने हुए कपड़ों पर खून लग गया था तथा मौके पर भी खून गिरा था। उनके साथ में मुलजिमान ने इस कारण मारपीट की क्योंकि उक्त मुलजिमान उनसे फैक्ट्री चलाने के बदले में पैसें मांग रहे थे तथा पांच लाख रूपये की डिमांड कर रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी करके मजरूबान को पहले बसावा ले गए थे और वहां पर एम्बूलेंस बुलाई और वहां से सभी मजरूबान को पहले नवलगढ़ सरकारी अस्पताल लेकर गए थे। सभी मजरूबान को सीकर के लिए रैफर कर दिया था। फिर विजेद्र को जयपुर के लिए रैफर कर दिया तथा राजेन्द्र, खेताराम व अंकित का उपचार सीकर में किया गया था। विजेद्र के सिर में ज्यादा चोट आई थी तथा वो बहुत सीरियस थे। मुलजिमान ने विजेन्द्र को जान से मारने की नियत से उसके साथ मारपीट की थी। मुलजिमान ने दरवाजे, खिड़कियां, सीसीटीवी कैमरे, लाईटिंग वगैरह सब कुछ तोड़ दिया था। बजरंग, श्रीराम, मंगलाराम, कमला, हरिराम, संतोष, बुलबुल आदि जोर–जोर से आवाज लगा रहे थे कि यहां से किसी को जिंदा नहीं जाने देना है। सभी मुलजिमान ने जान से मारने की नियत से एक राय होकर उनके ऑफिस में घूसकर उनके साथ मारपीट की थी तथा उनके पर हमला किया था। इस घटना की रिपोर्ट सुभाष जी ने दर्ज करवाई थी। उसके सामने पुलिस को सुभाष जी ने दिनांक 19.01.2016 को मजरूब विजेन्द्र का एक कोट बाहर से ब्ल्यू व अंदर से लाल था जो एडिडास कम्पनी का था जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे तथा राजेन्द्र की बादामी रंग की एक शर्ट जो खून से लथपथ थी तथा एक पेंट जिस पर भी खून लगा हुआ था, को दिया था व खेताराम का शर्ट जो लाईनदार था जो खून से लथपथ था, को भी पुलिस को दिया था तथा उसके सामने फर्द जब्ती खून आलूदा पारचाजात प्रदर्श पी 35 तैयार की गयी थी, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, उस वक्त उसके अलावा, सुभाष व ओमप्रकाश भी थे। मौके के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी 57 लगायत 106 है, प्रत्येक फोटोग्राफ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त फोटोग्राफ उसने अपने मोबाईल फोन से खींचकर पुलिस को दी थी।

23. प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उक्त क्रेशर के 100 मीटर व 200 मीटर की दूरी पर घर बने हुए हैं। गवाह ने स्वीकार किया कि उक्त क्रेशर के 100 मीटर, 150 मीटर दूरी पर जिन–जिन लोगों के घर हैं, उनके घर उसका जाने का काम नहीं पड़ा। यह सही है कि जब उन्होनें क्रेशर लगाया तब आस–पास के घरवालों ने व आस–पास की ढ़ाणी के लोगों ने इस क्रेशर के नहीं चलने के संबंध में जिला कलेक्टर झुन्झुनू के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिनका उन्होनें जवाब भी पेश किया था। उसने अपने मुख्य परीक्षण में जिन सुंदरी, कमला, सावित्री, बिदामी, तीजा, संतोष, पूजा के नाम बताए हैं, उनके पतियों के नाम उसे नहीं पता। उसने अपने मुख्य परीक्षण में जिनके नाम बताए हैं, उनके घर जाने का उसका कभी काम नहीं पड़ा। सभी लोगों के हाथों में धारदार हथियार थे। चार लोगों के धारदार हथियारों की चोटें आई थी। वो धारदार हथियार किन–किन लोगों के हाथ में थे, यह वह बता सकता है। धर्मपाल, मनोहर, हरिराम, बजरंगलाल, और भी कई लोगों के हाथ में धारदार हथियार थे। सभी लोगों ने सभी आहतों के धारदार हथियारों से क्रेशर पर ही मारी थी, जिससे आहतों के खून आ गया था। एक–दो औरतों के हाथ में धारदार हथियार थे। एक–दो

औरतों के हाथ में धारदार हथियार थे, वो औरतें भी धारदार हथियारों से मार रही थी। वो एक दो आरैतें लगातार चोटें मार रही थी। किसने–किसको मारा व किस जगह पर मारा, यह वह नहीं बता सकता क्योंकि भगदड़ मच गई थी। मौके पर वो जो डम्फर खड़े थे, वो उनके क्रेशर से डस्ट लेने के लिए नहीं आए हुए नहीं थे। वो जो डम्फर जो खड़े थे, वो किसके थे, वह नहीं बता सकता। वो मारपीट करने वाले व्यक्ति कौन–कौन थे, वह नहीं बता सकता। विजेन्द्र, राजेन्द्र सुभाषजी व ओमजी के साथ मारपीट करने वाले व्यक्तियों के नाम वह बता सकता। है। ओमजी के मंजू, संतोष, कमला, तीजा देवी ने चोटें मारी थी, सुभाषजी के साथ भी मंजू, संतोष, कमला, तीजा देवी ने चोटें मारी थी। उसने जो फोटो खीचें उनके संबंध में धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र नहीं दिया था। सरिया, धारदार हथियार, रॉड, व पत्थर उसने पुलिस को दिखा दिए थे। गवाह ने स्वीकार किया कि वह इस केस में गवाह इसलिए बना है क्योंकि सुभाषजी व ओमजी उसके पार्टनर हैं।

24. गवाह पी.ड.19 राजेन्द्र को अभियोजन पक्ष की ओर से बतौर चक्षुदर्शी साक्षी परीक्षित करवाया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि विजेन्द्र सुण्डा उसके भाई है। उनकी एक डस्ट की फैक्ट्री बालाजी एसोशियट के नाम से सेठों वाली प्याउ से खिरोड़ जाने वाले रास्ते पर आई हुई है। उस फैक्ट्री में पत्थरो से बजरी बनाने का काम होता है। यह घटना वाली बात 16.01.2016 की दिन के करीबन 11.00 बजे की बात है। उस दिन फैक्ट्री में सुभाष जी, विजेन्द्र, अंकित, जितेन्द्र, मुनीम मोहनलाल, रसोईयां खेताराम, ओमजी फैक्ट्री में थे। सुभाष जी, अंकित, विजेन्द्र , जितेन्द्र, वह, ओमजी रूम में कमरे में बैठकर पूजा–पाठ कर रहे थे। मुनीम क्रेशर पर बैक साईड में था तथा रसाईयां रसोई में खाना बनाने का काम कर रहा था। उसी समय फैक्ट्री में भोपालसिंह, मनोहर, श्रीराम, अशोक, राजेन्द्र, लेडिजों में मंजू, पूजा, संतोष, बिदामी देवी व अन्य लगभग 50 लोग आए थे। उन लोगों के पास लाठी, एंगल, रॉड, सरिया इत्यादि थे। ये सभी लोग दीवार फांदकर फैक्ट्री के अंदर जहां पर वे लोग पूजा कर रहे थे, वहीं आ गए थे। आते ही इन लोगों ने सुभाष जी व ओमजी के थप्पड़ व मुक्के वगैरह मारे फिर विजेन्द्र, अंकित को भी मारना चालू किया। फिर वह बीच में आया तब मेरे साथ भी मारपीट की। अंकित व विजेन्द्र के साथ इन लोगों ने लाठियों व सरियों से मारपीट की। उसके साथ मनोहर, शीशराम फिर कहा कि सहीराम ने लकडी व सरियों से मुझें मारा था जिस कारण उसके दाएं हाथ का अंगुठा फ्रेक्चर हुआ था और उसका बायां पैर टूट गया था तथा उन लोगों में हरिराम उसकी सोने की अंगुठी, सोने की चैन, सैमसंग का मोबाईल, 500 रूपये नकद छींनकर ले गया था। उसके अलावा विजेन्द्र, सुभाष, ओमजी, अंकित, मोहनलाल, रसोई के साथ मारपीट हुई थी। इसके अलावा उसके पीठ पर मारी थी तथा उसके गुप्तांगों पर उन लोगों ने चोटे मारी थी जिससे उसको बहुत दर्द हुआ था। उन लोगों ने उनकी दो स्कॉरपिओं गाड़ी, दो मोटरसाईकिल व एक स्वीफ्ट गाड़ी को तोड़ दिया था। इसके अलावा उन लोगों ने फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे, एलईडी व इन्वेटर को तोड़ दिया था व इन्वेटर को तोड़कर ले गए। इसके अलावा कम्प्यूटर पर लगी मशीन को भी तोड़ दिया था। वो लोग गाड़ियों के कागज व गाडियों की चाबियां भी ले गए थे। उन लोगों ने रूम में लगी हुई समस्त चीजे जिसमें टीवी, कम्प्यूटर, लैपटॉप, कैमरे वगैरह तोड़ दिए थे। वो लोग क्रेशर नहीं लगाने दे रहे थे इस कारण मारपीट करने आए थे। फिर उन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया था, फिर उनको सरकारी अस्पताल ले गए थे। सरकारी अस्पताल नवलगढ़ से उन्हें सीकर एस के अस्पताल में रैफर किया गया था।

25. प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि पुलिस ने उसके बयान अस्पताल में लिए थे और वहीं पर उसके हस्ताक्षर करवाए थे। मंजू, पूजा, संतोष, बिदामी व अन्य काफी औरतों के पास लकड़ी, सरिये, रॉड थी। हथियारों से उसके दायें हाथ के अंगुठे व बायें पैर पर चोटे आई थी, उसके मंगरो पर, गुप्तांगों पर चोटें लगी थी। इसके अलावा अन्य कोई चोट नहीं थी, ये ही चोटें थी। लोग पत्थर भी मार रहे थे तथा पत्थरों से मारपीट भी हुई थी तथा पत्थरों

से गाड़ियों के शीशे भी टूटे थे। पुलिस काफी देर बाद में मौके पर आई थी क्योंकि इन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया था। उस समय वह पुलिस से नहीं मिला था। फेंके गये पत्थरों से उनमें से विजेन्द्र, अंकित, सुभाष, ओमजी व रसोईयां व मुनीम के चोटें आई थी। उन लोगों में से कौन–कौन पत्थर फेंक रहे थे, वह उनके नाम नहीं बता सकता। पुलिस को उसने वो पत्थर नहीं दिखाए थे।

26. गवाह पी.ड.22 विजेन्द्र सिंह को भी अभियोजन की ओर से बतौर चक्षुदर्शी साक्षी परीक्षित करवाया है ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसकी बालाजी एसोशियट के नाम से फर्म मोहनवाड़ी नवलगढ़ में आई हुई है। उसके अलावा इस फर्म में सुभाष जी उसके साझेदार है। उक्त फर्म नवलगढ़ रोड़ से सेठ वाली व्याउ ग्रेवल रोड़ पर आई हुई है। दिनांक 16.01.2016 को दिन के 11.00 बजे की बात है। उक्त फेक्ट्री में उसके अलावा, सुभाष जी, जितेन्द्र, ओमप्रकाश जी, अंकित, राजेन्द्र थे व मुनीम मोहन व रसोईयां खेताराम थे। सुभाष जी, वह, ओमप्रकाश जी, जितेन्द्र हम पूजा रूम में थे तथा खेताराम रसोईयां रसोई में काम कर रहा था तथा मुनीम बाहर कोई काम कर रहा था। वे लोग फेक्ट्री में पूजा–पाठ कर रहे थे। फेक्ट्री का गेट बंद था। उस समय उनकी फेक्ट्री पर मूलाराम, उसका बेटा सुभाष, उपेन्द्र, सुरेन्द्र, हरिराम, हरिराम की घर वाली कमला, भोपाल, भोपाल की घर वाली सज्ञना, भोपाल का बेटा धर्मपाल, मूलाराम की घर वाली तीजा देवी, देवकरण पुत्र रावतराम, मनोहरलाल, देवकरण की माता जी सुन्दरी, मंगलाराम का बेटा श्रीराम रणवां इस प्रकार काफी लोग थे यानी 15–20 महिलाएं–पुरूष थे। ये लोग एकराय होकर फेक्ट्री के अंदर घुसे। इनके पास लाठी, सरिया व खेती के औजार, धारदार हथियार साथ लेकर आए थे तथा आते ही उन्होंने फेक्ट्री में तोड़फोड़ शुरू की और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और फेक्ट्री के सीसीटीवी कैमरे, इन्वर्टर, पैसे, कागजात को लूट ले गए व हमारी दो स्कॉरपिओ व एक स्वीफ्ट गाड़ी व दो मोटरसाईकिलों में तोड़फोड़ की तथा पूरा माहौल तोड़फोड़ वाला कर दिया तथा माहौल खराब दिया। स्कॉरपिओ गाड़ी के नंबर आर जे 18 यूए 7951 थे दूसरी स्कॉरपिओ के नंबर आर जे 18 यूसी 0101, स्वीफ्ट गाड़ी के नंबर आर जे 18 सीए 5452, मोटरसाईकिल नंबर आर जे 18 3 एम 0056 थे। उसके साथ पांच–सात दस लोग थे उन्होंने मारपीट की थी जिसमें भोपाल, सज्ञना, हरिराम, धर्मपाल, देवकरण, सुंदरी, कमला, तीजादेवी, मूलचंद, सुभाष, उपेन्द्र सभी ने मारपीट की थी। मारपीट में उसका दायां हाथ फ्रेक्चर हो गया था तथा उसके सिर पर चोटे आई थी तथा उसका सिर फट गया था तथा उसके सिर में 14 टांके आए थे। उसके दोनो पैरों में चोटे आई थी व फ्रेक्चर थे। उसकी हाथों की अंगुलियों पर भी चोटें आई थी। इसके अलावा अंकित, राजेन्द्र, उनके मुनीम मोहन, रसोईयां खेताराम के साथ भी मारपीट हुई थी। राजेन्द्र के हाथ के अंगूठे पर चोट आई थी। खेताराम के मुंह पर होठ पर चोट आई थी। जितेन्द्र के चोट नहीं आई थी। अंकित के पीठ पर चोट आई थी तथा उसकी पीठ पर मारा था। उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरे, इन्वर्टर, कागजात्, उसके व राजेन्द्र के पैसे, राजेन्द्र की अंगुठी वगैरह लूटकर ले गए थे। ये लोग उनसे पैसे की मांग कर रहे थे तथा कह रहे थे कि फेक्ट्री नहीं चलाने देगें। जिनके चोटे कम आई थी, उन्होंने एम्बूलेंस को फोन किया था परंतु उन लोगों ने रास्ते को अवरूद्ध कर दिया था जिसके कारण एम्बूलेंस नहीं आ सकी और उनके ईलाज में समय लगा। दूसरे कच्चे रास्ते से निकलकर हम नवलगढ़ पहुंचे, फिर नवलगढ़ में हमारा ईलाज करवाया। उसको को जयपुर एसएमएस अस्पताल में रैफर कर दिया था। इसके अलावा राजेन्द्र, अंकित व खेताराम को सीकर अस्पताल में रैफर कर दिया था। उसका 7 दिन के लगभग एसएमएस में ईलाज चला था, इसके अलावा उसने घर पर रहकर भी ईलाज लिया था। इन लोगों ने उनसे फेक्ट्री चलाने के वास्ते 5 लाख रूपये की मांग की थी। 5 लाख रूपये की मांग बसावा बस स्टेण्ड पर 26.12.2015 को हुई थी। फिर उन्होनें रूपये देने ने मना कर दिया था तब उन्होंने कहा कि हम फेक्ट्री नहीं चलाने देगें तुम चलाकर देखों। फिर इसी कारण उनके साथ उक्त वारदात हुई

थी। फिर कहा कि बसावा बस स्टेण्ड पर 5 लाख रूपये की मांग वाली बात 25.12.2015 को हुई थी। ये व्यक्ति पेशेवर अपराधी है, इससे पहले भी उसकी माताजी ने नवलगढ़ में मुकदमा दर्ज करवाया था।

27. प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि उसने जिन लोगों के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया है, इनके खिलाफ उसकी माताजी ने नवलगढ़ थाने में 28.12.2025 को मुकदमा दर्ज करवाया था। नवलगढ़ अस्पताल में उसके साथ उसका भाई जितेन्द्र आया था, जो उसे लेकर आया था। नवलगढ़ अस्पताल में पुलिस वालों को उसने घटना की वारदात नहीं बतायी थी, अज खुद कहा कि पुलिस वालों ने उससे घटना के बारे में पूछा ही नहीं। गवाह ने स्वीकार किया कि लोगों द्वारा फैक्ट्री में पत्थर फेंके गये थे, उसके सिर में 14 चोटें धारदार हथियार की आयी होगी। उसके हाथ–पैरों पर धारदार हथियार से 10–15 चोटें लगी होगी। पतथरों से उसके कोई चोट नहीं लगी। उसके कागज, सीसीटीवी कैमरा, फैक्ट्री की अन्य वस्तुओं को इन लोगों ने लाठियों, व पत्थरों से तोड़ा हो तो वह नहीं बता सकता, अज खुद कहा कि वो लूट ले गए थे। फैक्ट्री में कितने पत्थर फेंके गये थे, वह नहीं बता सकता। सुंदरी, कमला व तीता देवी प्रत्येक ने उसके दो–तीन, दो–तीन चोटें मारी थी। इन्होंने उसके हाथों–पैरों पर चोटें मारी थी। उसके सिर में जिस धारदार हथियार की चोट मारी गई थी। घटना में 8–10 औरतें थी। सुंदरी, तीजा देवी, कमला के अलावा जो औरतें थी, उन्होनें किन–किन के साथ मारपीट की, यह उसे ध्यान नहीं है, लेकिन वो मारपीट कर रही थी, उन औरतों के पास लाठियां थी, लेकिन धारदार हथियार नहीं थे। ग्रामीण लोग एक–दो महिने में फैक्ट्री चलाने का विरोध कर रहे थे, फिर कहा कि 5–7 लोग विरोध कर रहे थे। ये लोग उन्हें फैक्ट्री में आने नहीं देते थे, इस बात की रिपोर्ट उसने 28.12.2015 को थाने पर दर्ज करवायी थी। यह बात सही है कि वो रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। उसके अलावा धारदार हथियार की खेताराम, राजेन्द्र के चोट लगी थी, वो धारदार हथियार गंडासी, फावड़ा थे। अंकित के पीठ पर धारदार हथियार की चोट किस हथियार की थी, वह नहीं बता सकता। महावीर सिंह शेखावत को वह जानता है, जो झाझड़ के है तथा बीजेपी के नेता थे। गवाह ने स्वीकार किया कि इन्होनें जिला कलेक्टर और उस समय मंत्री राजेन्द्र राठौड़ को उनकी फैक्ट्री के आबादी में होने व स्कूल पर विपरीत प्रभाव होने की शिकायत की थी।

28. गवाह पी.ड.34 कैलाशचंद प्रकरण का प्रथम अनुसंधान अधिकारी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं द्वारा किए गए अनुसंधान को प्रमाणित कराते हुए कथन किया है कि दिनांक 16.01.2016 को परिवादी सुभाषचंद द्वारा उसके समक्ष लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–108 पेश किए जाने पर उसने चॉक एफआईआर प्रदर्श पी–109 दर्ज कर अनुसंधान आराम्भ किया। दौराने अनुसंधान घटनास्थल पहुंचकर परिवादी की निशादेही से नक्शा मौका प्रदर्श पी–10 व हालात मौका प्रदर्श पी–117 तैयार किया, घटना में क्षतिग्रस्त वाहन स्कॉर्पिओ आरजे 18 यूसी 0101 का निरीक्षण का परिवादी को सुपुर्द किया, मोटरसाईकिल नंबर आरेज 18 3 एम 0056 का निरीक्षण कर परिवादी को सुपुर्द किया। क्षतिग्रस्त स्कॉर्पिओ गाड़ी नंबर आरजे 18 यूए 7951 का निरीक्षण किया। मोटरसाईकिल नंबर आरजे 18 एसजी 8761 का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की। प्रकरण के आहतगण अंकित कुमार, विजेन्द्र, खेताराम, राजेन्द्र के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल व एक्सरे करवाकर शामिल पत्रावली किए। घटना में आहतगण के फोटोग्राफ प्रदर्श पी–57 लगायत प्रदर्श पी–68 व घटनास्थल के फोटोग्राफ प्रदर्श पी–69 लगायत पी–106 शामिल पत्रावली किए। आहतगण की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी–117 लगायत प्रदर्श पी–126 शामिल पत्रावली किए। अनुसंधान के दौराने घटनास्थल से सादा मिट्टी, खून आलूदा मिट्टी व सादा पत्थर जरिए फर्द प्रदर्श पी–34 जब्त कर सील मोहर किए। मजरूबान विजेन्द्र, खेताराम व राजेन्द्र के खून आलूदा पार्चेजात जरिए फर्द प्रदर्श पी–35 जब्त कर सील मोहर किए। घटना में क्षतिग्रस्त स्विफ्ट वीडीआई आरजे 18 सीए 5452 को जरिए फर्द प्रदर्श पी–110 निरीक्षण किया गया। अनुसंधान से अभियुक्तगण श्रीराम,

ताराचंद, सुरेन्द्र, मनोहरलाल, भोपाल सिंह, धर्मपाल, सजना देवी, मंजू देवी, राजेद्र, बुलबुल उर्फ पूजा, देवकरण, हरिराम, दिनेश, अशोक, सुंदर देवी, कमला देवी, परमेश्वरी देवी, सावित्री देवी, बिदामी देवी, मूलाराम, सुरेन्द्र, सुभाष, उपेन्द्र, विधाधर, श्रीराम, तीजा देवी, सावित्री देवी, बजरंगलल, संतोष देवी व जयचंद के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 341, 323, 307, 448, 455, 427, 397 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध प्रमाणित मान कर अभियुक्त हरिराम, बजरंगलाल, राजेन्द्र, सुभाष, श्रीराम, भोपाल सिंह व मनोहरलाल को गिरफ्तार किया था। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त हरिराम की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला से आहत राजेन्द्र की जेब से लूटे गये रूपयो का तस्दीक घटनास्थल तैयार किया और अभियुक्त ईत्तिला के अनुसरण में 500/- रूपये का एक नोट जरिए फर्द प्रदर्श पी-51 जब्त कर जब्तीस्थल का नक्शा मौका बनाया। इसी प्रकार अभियुक्त बजरंगलाल की ईत्तिला से घटना में प्रयुक्त लाठी जरिए फर्द प्रदर्श पी-47 जब्त कर सील मोहर की। अभियुक्त सुभाष की ईत्तिला से एक झाड़ी की लाठी, जिस पर खून लगा था जरिए फर्द प्रदर्श पी-42 जब्त की थी। अभियुक्त श्रीराम की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला के अुनरण में घटनास्थल तस्दीक किया और अभियुक्त द्वारा परिवादी/आहत सुभाष से छीने गये 950 रूपये जरिए फर्द प्रदर्श पी-49 जब्त किया गया व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। दौराने अनुसंधान अभियुक्त भोपाल सिंह की निशादेही से घटना में प्रयुक्त लोहे का पाईप जरिए फर्द प्रदर्श पी-44 जब्त किया और बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया। अभियुक्त भोपाल सिंह ने अपनी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला के अनुसरण में एक सीसीटीवी कैमरा व एक केबिल बरामद करवाई जिन्हें जरिए फर्द प्रदर्श पी-45 के जब्त किया गया। अभियुक्त भोपाल सिंह की निशादेही से घटनास्थल तस्दीक का नक्शा मौका बनाया। दौराने अनुसंधान अभियुक्त मनोहरलाल की ईत्तिला से घटना में प्रयुक्त लाठी जरिए फर्द प्रदर्श पी-107 के जब्त की गई। प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया। गवाह की साक्ष्य के दौरान प्रकरण में जब्तशुदा उक्त वजह सबूत न्यायलाय के समक्ष पेश कर प्रदर्शित करवाया गया। तत्पश्चात पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु पत्रावली रामवतार मीना को सुपुर्द कर दी।

29. प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि प्रकरण में 30 से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसने अपने अनुसंधान से सात लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप पत्र 10 लोगों के खिलाफ ही प्रस्तुत है तो उसे नहीं पता। 20 लोगों के खिलाफ उनकी भूमिका व साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अनुसंधान 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता में लंबित रखा गया था। किसी भी आरोपी से उसने कोई धारदार हथियार की बरामदगी नहीं की थी। **क्रेसर को लेकर आरोपियों व ग्रामीणों के बीच अचानक विवाद हुआ था।** सुभाष व ओमप्रकाश का मेडिकल नहीं हुआ था, उन्होनें मेडिकल करवाने से मना कर दिया था। गवाह खेताराम ने अपने स्वयं के साथ आरोपितयां सज्जन देवी द्वारा सिर में लाठी मारना, अशोक द्वारा लाठी की सिर में मारने का आरोप लगाया है लेकिन उक्त दोनों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। आहत राजेन्द्र के साथ ताराचंद, सुरेन्द्र, बुलबुल, देवकरण, मंजू द्वारा पकड़कर मारपीट करने का आरोप लगाया है, लेकिन ये आरोप भी अनुसंधान में सही नहीं पाया गया। राजेन्द्र व सुभाष की ईत्तिला में जिस लाठी का हवाला है, वो लाठी कहां पर उसने छिपा रखी है, और कहां से बरामद करवा सकता है, यह तथ्य ईत्तिला में नहीं है। आरोपी भोपाल की ईत्तिला में इस बाबत यह तथ्य अंकित नहीं है कि उसने उक्त पाईप कहां छिपा रखा है कहां से बरामद करवा सकता है। ईत्तिला के अनुसार जो हथियार बरामद किए, उन आरोपियों के हाथ में उक्त हथियार होना व उक्त हथियारों से पर्टिक्यूलर व्यक्ति को चोट मारने का तथ्य किसी भी गवाह के बयानों नहीं है। अमुख आरोपी ने अमुख व्यक्ति को चोट मारी, उक्त तथ्य वर्तमान आरोपियों के संबंध में नहीं आया। गवाह ने स्वीकार किया कि किसी आरोपी ने गाड़ियों के शीशे तोड़े, उक्त बाबत तथ्य ना तो रिपोर्ट में है और ना ही किसी के बयानों में है। इस प्रकरण के सभी गवाहों के बयानों में सरिया व लोहे के एंगल से मारपीट करने का तथ्य बयानों में आया

है लेकिन उसने उसके अनुसंधान के दौरान किसी भी आरोपी से सरिया व लोहे की एंगल बरामद नहीं की।

30. गवाह पी.ड.5 अमित कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 17.01.2016 को पुलिस द्वारा उसके व ओमप्रकाश के समक्ष रणवा की ढ़ाणी क्रेसर बालाजी एसोशिएट से खून आलूदा मिट्टी, खून आलूदा पत्थर, सादा मिट्टी व सादा पत्थर को दो अलग–अलग थैलियों में डालकर जरिए फर्द प्रदर्श पी–34 जब्त कर सील मोहर किये जाने का साक्ष्य दिया है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है वह थाने पर गया था। गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि प्रदर्श पी–34 पर उसने हस्ताक्षर थाने पर किए हो, अज खुद कहा कि मौके पर ही किए थे।

31. गवाह पी.ड.08 चैनाराम व पी.ड.16 सुनिल ने अपने मुख्य परीक्षण में एक समान कथन करते हुए दिनांक 17.01.2016 को प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी कैलाशचंद द्वारा अभियुक्तगण हरिराम, बजरंगलाल, राजेन्द्र, सुभाष, श्रीराम, व भोपाल को जरिए फर्द प्रदर्श पी–36 लगायत 41 गिरफ्तार किए जाने, अभियुक्त सुभाष से उसकी ईत्तिला के अनुसरण में सूखी झाड़ी की लकड़ी जरिए फर्द प्रदर्श पी–42 से जब्त किए जाने और जब्ती स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–43 बनाए जाने का कथन किया है। आगे गवाहान ने कथन किया है कि अभियुक्त भोपाल सिंह से उसकी ईत्तिला के अनुसरण में घटना में प्रयुक्त लोहे का पाईप, सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी केबिल जरिए फर्द प्रदर्श पी– 44 व पी–45 के जब्त करने एवं बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–46 मुर्तिब किए जाने का साक्ष्य दिया है। उसी दिन अभियुक्त राजेन्द्र की ईत्तिला से एक बबूल की लाठी जरिए फर्द प्रदर्श पी–47 जब्त की गई एवं बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–48 बनाया गया। इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.08 चैनाराम ने अभियुक्त हरिराम की निशादेही से 500 रूपये का नोट अपने मकान के पेड़ की जड़ से खोदकर बरामद करवाए जाने पर नोट जरिए फर्द प्रदर्श पी–51 जब्त करने एवं जब्तीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–52 बनाए जाने का साक्ष्य दिया है। गवाह पी.ड.16 सुनिल ने भी नक्शा मौका प्रदर्श पी–52 स्वयं के सामने बनाए जाने का साक्ष्य दिया है। प्रतिपरीक्षा में गवाह पी.ड.8 ने कथन किया है कि फैक्ट्री में टूटे हुए सीसीटीवी कैमरा नहीं मिले थे। झाड़ी की लकड़ी जो सुभाष की निशादेही से बरामद हुई थी, वो उसकी बैठक में से बरामद की थी। गवाह ने स्वीकार किया कि झाड़ी की लकड़ी पर खून लगा हुआ नहीं दिख रहा था। पाईप पर कोई खून लगा नजर नहीं आ रहा था। गवाह ने स्वीकार किया कि लाठी जो अभियुक्त राजेन्द्र से बरामद हुई थी, उस पर कोई खून नजर नहीं आ रहा था। समस्त बरामदगी स्थल वाले स्थानों के मालिकाना हक बाबत या उनके स्वामित्व बाबत दस्तावेज उसने नहीं देखे। जिस प्रकार की लाठी वगैरह बरामद की थी, उस प्रकार की लाठी वगैरह कृषित के काम में आती है, जो अमूमन खेतों में आसानी से मिल जाती है। इसी प्रकार गवाह पी.ड.16 सुनिल ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि प्रदर्श पी–51 दिनांक 19.01.2016 को 04:20 पी.एम. पर फर्द के अनुसार बना हुआ है। यह सही है कि प्रदर्श पी–52 दिनांक 19.01.2016 को 04:55 पी.एम. पर बना हुआ है। प्रदर्श पी–51 के समय वह मौके पर नहीं था।

32. गवाह पी.ड.12 सुरेन्द्र ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 19.01.2016 को अनुसंधान अधिकारी कैलाशजी ने अभियुक्त श्रीराम की ईत्तिला से सेठ वाली प्याउ से रास्ते से बाड़ में से 950/– रूपये बरामद किए थे, जिनमें से 500/– रूपये का एक नोट व 100/–100/ के चार नोट व एक 50/– रूपये का नोट था। जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–49 व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–50 है। उसी दिन इसी प्रकरण में अभियुक्त हरिराम की ईत्तिला से उसके मकान के पास अरडू के पेड़ की जड़ के नीचे से 500/– रूपये का एक नोट जरिए फर्द प्रदर्श पी–51 से बरामद किए जाने और बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाए जाने का कथन किया है। आगे गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 24.02.2016 को

अनुसंधान अधिकारी ने उसके समक्ष अभियुक्त मनोहरलाल को जरिए फर्द प्रदर्श पी–55 के जब्त किए जाने और अभियुक्त की जामा तलाशी की फर्द प्रदर्श पी–56 तैयार किए जाने का साक्ष्य दिया है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि किस सीरीज के नोट बरामद करने थे और किस सीरीज के नोट बरामद किए थे, यह उसे नहीं पता। जमीन से जिस नोट को बरामद किया था, वो मुड़ा हुआ था, गला हुआ हो तो उसे ध्यान नहीं है।

33. इसी प्रकार गवाह पी.ड.14 आसाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 26.02.2016 को प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त मनोहरलाल की ईत्तिला से एक लाठी बरामद किए जाने और बरामद शुदा लाठी को जरिए फर्द प्रदर्श पी–107 जब्त किए जाने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि लाठी खुले स्थान से बरामद की थी। लाठी पर कोई खून वगैरह नहीं लगा हुआ था। गवाह पी.ड.18 शुभकरण ने भी अभियुक्त मनोहर से बांस की लाठी जरिए फर्द प्रदर्श पी–107 से जब्त किए जाने का कथन किया है। गवाह पी.ड.20 रमेशचंद ने अपने मुख्य परीक्षण में अनुसंधान अधिकारी कैलाशचंद गुर्जर द्वारा अभयुिक्त मनोहरलाल को जरिए फर्द प्रदर्श पी–55 के गिरफ्तार किए जाने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया, उस समय वह थाने पर ही मौजूद था।

34. गवाह पी.ड.23 रामवतार मीना प्ररकण का अनुसंधान अधिकारी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में दौराने अनुसंधान दिनांक 11.05.2016 को अभियुक्त ओपेन्द्र को जरिए फर्द प्रदर्श पी–53 के गिरफ्तार किए जाने अभियुक्त की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला प्रदर्श पी–112 के अनुसरण में ओपेन्द्र द्वारा अपनी पंचर की दुकान से एक लाठी निकालकर पेश किए जाने पर लाठी को जरिए फर्द प्रदर्श पी–54 जब्त किए जाने का कथन किया है। गवाह की साक्ष्य के दौरान उक्त बांस की लाठी न्याायलय के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि जिस दुकान से लाठी बरामद करवाई गई थी, उसके आस–पास कितनी दुकानें थी, आज उसे याद नहीं है। दुकान के स्वामित्व बाबत कागजात नहीं लिए थे। अभियुक्त ओपेन्द्र को गिरफ्तार किए जाने एवं अभियुक्त की ईत्तिला से बांस की लाठी जब्त किए जाने की ताईद गवाह पी.ड.09 संत कुमार की साक्ष्य से भी होती है। अभियुक्त ओपेन्द्र से बासं की लाठी बरामद होने की ताईद गवाह पी.ड.17 बलवीर सिंह ने अपने कथनों से की है। प्रतिपरीक्षा में गवाह पी.ड.9 संत कुमार ने कथन किया है कि आरोपी को थाने से गिरफ्तार किया था। जिस दुकान से लाठी बरामद हुई, उस दुकान के मालिकाना हक के संबंध में कोई दस्तावेज लिए गए थे या नहीं, इस संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षा में गवाह पी.ड.17 ने कथन किया है कि प्रदर्श पी–54 वाली जगह ओपेन्द्र की है, जिस दुकान से बरामदगी करना बता रहा है, वो दुकान ओपेन्द्र का भाई चला रहा था। जिस लाठी को जब्त किया वो टूटी हुई नहीं थी, उस पर खून वगैरह नहीं लगा हुआ था।

35. गवाह पी.ड.1 नवल किशोर मीना प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 30.08.2016 को उसे प्रकरण की पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान उसने अभियुक्त धर्मपाल उर्फ धोलू को जरिए फर्द प्रदर्श पी–1 गिरफ्तार किया था। अभियुक्त धर्मपाल ने उसे घटना के समय लूटे हुए कैमरे बरामद करवाए जाने बाबत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला दी जो प्रदर्श पी–2 है। ईत्तिला के अनुसरण में कोई बरामदगी नहीं हुई। दिनांक 27.05.2017 को अभियुक्त श्रीराम को जरिए फर्द प्रदर्श पी–3 के गिरफ्तार किया था। अभियुक्त श्रीराम ने उसे फैक्ट्री से लूटे गये सामान को बरामद करवाए जाने की सूचना दी थी जो प्रदर्श पी–4 है। ईत्तिला के अनुसरण में अभियुक्त की निशादेही से एक मूल आरसी आरजे 18 यूसी 0101 बरामद करवाई, जिसे जरिए फर्द प्रदर्श पी–5 जब्त किया और बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 बनाया। दिनांक 29.05.2017 को अभियुक्त धर्मपाल उर्फ धोलू ने समक्ष एक ईत्तिला दी कि उसने मारपीट के दौरान कर्मचारी राजेन्द्र का एक मोबाईल छीना था जो जामा तलाशी के दौरान

जब्त किया गा था। ईत्तिला पर अभियुक्त राजेन्द्र की जामा तलाशी के दौरान मिले मोबाईल को जरिए फर्द प्रदर्श पी–8 जब्त किया। उक्त मोबाईल का बिल राजेन्द्र ने पेश किया जो प्रदर्श पी–9 है। बिल नंबर 188 दिनांक 15.11.2015 लक्ष्य कम्प्यूटर एवं मोबाईल सेंटर से जारी था। तत्पश्चात उसने पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु बलराज मान को सुपुर्द कर दी। गवाह की साक्ष्य के दौरान वजह सबूत सील बंद अवस्था में पेश किया गया। असल बिल आर्टिकल–1 है। अभियुक्त श्रीराम से जब्तशुदा असल आरसी प्रदर्श पी–116 है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि अभियुक्त धर्मपाल ने उसे जो धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला दी उसके अनुसरण में कैमरे की कोई बरामदगी नहीं हुई। गवाह ने स्वीकार किया कि अभियुक्त श्रीराम से जो आर.सी. बरामद हुई वह आरसी अभियुक्त श्रीराम के काम की वस्तु नहीं थी। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने बरामदगी स्थल के स्वामित्व के संबंध में ना तो आस–पास के व्यक्तियों के बयान लिए और ना ही इसके मालिकाना हक के संबंध में दस्तावेज लिए। गवाह ने स्वीकार किया कि मोबाईल बरामदगी प्रदर्श पी–8 तक धर्मपाल ने इस मोबाईल को काम में लिया हो, और उक्त मोबाईल से कॉल किया हो, ऐसा उसके अनुसंधान में नहीं आया।

36. गवाह पी.ड.17 बलवीर सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 29.05.2017 को अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त श्रीराम की ईत्तिला एवं उसकी निशादेही से वाहन नंबर आरजे 18 यूसी 0101 की मूल आरसी जरिए फर्द प्रदर्श पी–5 बरामद की थी। बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी–5 वाली गाड़ी की मूल आरसी पत्रावली पर नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि समस्त फर्दात पर पुलिस के ही गवाह मौतबीर हैं। गवाह पी.ड.18 शुभकरण ने भी अपने मुख्य परीक्षण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा स्वयं के समक्ष अभियुक्त धर्मपाल व श्रीराम को जरिए फर्द क्रमशः प्रदर्श पी–1 व पी–3 गिरफ्तार किए जाने का कथन किया है। गवाह पी.ड.24 हरिराम ने भी अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 27.05.2017 को अनुसंधान अधिकारी श्री नवल किशोर मीणा ने उसके व शुभकरण कानि. के समक्ष अभियुक्त श्रीराम को जरिए फर्द प्रदर्श पी–3 गिरफ्तार किए जाने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के समय उसके 2450 रूपये नगद, नोकिया कंपनी का मोबाईल व गाड़ी की आरसी जब्त की थी। उक्त कार्यवाही थाने पर की थी। गवाह पी.ड.28 ने अपने मुख्य परीक्षण अनुसंधान अधिकारी नवल किशोर मीणा द्वारा अभियुक्त श्रीराम की ईत्तिला से अभियुक्त के रिहायशी मकान से वाहन संख्या– 18 यूसी 0101 बरामद कर जरिए फर्द प्रदर्श पी–5 जब्त करने एवं बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 बनाए जाने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि एक व्यक्ति के नाम का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र किसी दूसरे व्यक्ति के काम का दस्तावेज नहीं है। गवाह पी.ड.29 नवाब खां ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त श्रीराम द्वारा घटनास्थल तस्दीक करवाए जाने बाबत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला प्रदर्श पी–4 दिए जाने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी–4 के अनुसरण में उस स्थान की तस्दीक उसके सामने नहीं हुई।

37. गवाह पी.ड.25 संदीप कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 26.05.2017 को अनुसंधान अधिकारी श्री नवल किशोर मीणा द्वारा उसके व शुभकरण कानि. के समक्ष अभियुक्त धर्मपाल उर्फ धोलू को जरिए फर्द प्रदर्श पी–1 गिरफ्तार किया। दिनांक 27.05.2017 को अभियुक्त धर्मपाल ने अनुसंधान अधिकारी को धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला दी जो प्रदर्श पी–2 है। दिनांक 29.05.2017 को अभियुक्त धर्मपाल की जामा तलाशी में मिला मोबाईल को मालखाना से अनुसंधान अधिकारी ने जरिए फर्द प्रदर्श पी–8 के जब्त किया था। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि मोबाईल स्विच ऑफ था या ऑन था उसे ध्यान नहीं है। उसने मोबाईल को डायल करके नहीं देखा था। गवाह पी.ड.26 संदीप कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 28.05.2017 को पुलिस थाना नवलगढ़ में सिपाही के पद पर तैनात होते हुए प्रकरण में

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त श्रीराम नेहरा द्वारा अनुसंधान अधिकारी को उनके समक्ष धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला दी जो प्रदर्श पी–4 है। दिनांक 29.05.2017 को अभियुक्त धर्मपाल ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला दी कि उसने घटना के समय फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर राजेन्द्र का मोबाईल छीन लिया जो जमा तलाशी में आपके द्वारा प्राप्त कर लिया गया। ईत्तिला प्रदर्श पी–7 है एवं उक्त ईत्तिला के अनुसरण में मोबाईल मालखाना से प्राप्त कर जरिए फर्द प्रदर्श पी–8 जब्त किया गया। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी–4 ईत्तिला के संबंध में बरामदगी उसके समक्ष नहीं हुई थी। मालखाना से मोबाईल जब निकालकर मालखाना प्रभारी ने अनुसंधान अधिकारी को दिया तब उस पर सील लगी हुई थी परन्तु क्या सील थी उसे नहीं पता।

38. गवाह पी.ड.21 नदंसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 09.05.2018 को पुलिस थाना नवलगढ़ में कानि. के पद पर पदस्थापित होते हुए प्रकरण में जब्तशुदा 06 पैकेट सीलशुदा अवस्था में मालखाना से प्राप्त कर अग्रेषण पत्र जारी करवाकर दिनांक 10.05.2018 को सीलशुदा अवस्था में एफएसएल में जमा करवाकर रसीद प्रदर्श पी–111 प्राप्त किए जाने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि एसपी साहब के कार्यालय में जब वह अग्रेषण पत्र बनवाने के लिए गया तब वह व्यक्तिगत रूप से एसपी साहब से नहीं मिला। उसे ध्यान नहीं है कि वह मालखाना से असल सील व फर्द नमूना सील लेकर गया होउं।

39. गवाह पी.ड.27 करणीराम ने भी अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 09.05.2018 को मालखाना से 06 पैकेट एफएसएल में जमा करवाने व अग्रेषण पत्र बनवाए जाने हेतु कानि. नंद सिंह को सीलबंद अवस्था में सुपुर्द किए थे, जिन्होनें उक्त वजह सबूत सीलबंद अवस्था में एफएसएल में जमा करवा कर रसीद उसे सुपुर्द किए जाने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि पैकेट्स में क्या था, यह उसे नहीं पता। जिसने पैकेट्स जमा करवाए, उसके हस्ताक्षर नहीं लिए थे।

40. गवाह पी.ड.30 सुभाषचंद शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 27.05.2017 को पुलिस थाना नवलगढ़ में हैड कानि. के पद पर पदस्थापित होते हुए प्रकरण में अभियुक्त श्रीराम की जमा तलाशी में मिले 2450 रूपये नगद, नोकिया कंपनी का सादा मोबाईल, डीएल, आरसी की फोटोप्रति एटीएम, छोटी डायरी आधार कार्ड की प्रति इत्यादि मालखाना में जमा करने हेतु दिए जाने पर मालखाना में जमा करने का कथन किया है। आगे गवाह ने कथन किया है कि उसने 4900/– रूपये अभियुक्त धर्मपाल उर्फ धोलू की तलाशी में मिले को मालखाना में जमा किया था। दिनांक 01.06.2017 को अनुसंधान अधिकारी को अभियुक्त धर्मपाल की जमा तलाशी में जब्तशुदा सैंमसंग कम्पनी को मालखाना में जमा करवाया था। उसी दिन प्रकरण में गाडी नंबर आरजे 18 यूसी 0101 की मूल आरसी जो अभियुक्त श्रीराम के कब्जे से जब्त हुई थी को मालखाना में जमा किया था। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–115 है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि मालखाना में माल अनुसंधान अधिकारी ने जमा करवाया था। मालखाना रजिस्टर में नवल किशोरजी के हस्ताक्षर नहीं है।

41. गवाह पी.ड.31 ललिता ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 17.01.2016 को प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्तशुदा वजह सबूत खून आलूदा मिट्टी, पत्थर, सादा मिट्टी व सादा पत्थर को मालखाना में जमा करवाए जाने पर मालखाना में जमा किए जाने का कथन किया है। आगे गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 19.01.2016 को अनुसंधान अधिकारी ने उसे प्रकरण में जब्तशुदा झाड़ी की लकड़ी, बबूल के पेड़ की लाठी, लोहे का पाईप, सीसीटीवी कैमरा, 950/– रूपये, 500/– रूपये का नोट व राजेन्द्र के खून आलूदा पार्चेजात सीलशुदा अवस्था में जमा करवाने हेतु दिए जाने पर मालखाना में जमा करने एवं रजिस्टर प्रदर्श पी–116 होने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि

माल मालखाना में अनुसंधान अधिकारी ने कैलाशचंद्र जी ने जमा करवाया था। यह सही है कि मालखाना रजिस्टर में कैलाशचंद्र जी के हस्ताक्षर नहीं है।

42. गवाह पी.ड.33 सुरेन्द्र सिंह देगड़ा ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण हरिराम, बजरंगलाल, राजेन्द्र, सुभाष श्रीराम, भोपाल सिंह, मनोहरलाल, उपेन्द्र, धर्मपाल, श्रीराम के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 448, 341, 323, 307, 455, 427,384, 397 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप पत्र पेश किया एवं शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध अनुसंधान लंबित रखा। उसने दौराने अनुसंधान मालखाना प्रभारी व नंद सिंह कानि. के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। एफएसएल की रिपोर्ट प्रदर्श पी–128 एवं सिरोलॉजी की रिपोर्ट प्रदर्श पी–129 है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी–127 के जरिए जो प्रादर्श उसने एफएसएल में जमा करवाये थे, उनकी जब्तियां उसके सामने नहीं बनायी गई।

43. गवाह पी.ड.4 योगेश कुमार जाखड़ चिकित्सीय साक्षी है ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 16.01.2016 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़ में पदस्थापित था। उस दिन पुलिस थाना नवलगढ़ की प्रार्थना पत्र पर समय 1.00 पीएम पर मजरूब अंकित पुत्र ओमप्रकाश उम्र 26 साल, जाति जाट, निवासी केरू के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल परीक्षण किया था। जिसके शरीर पर निम्न चोटें थीः–1. Pain and swelling on right elbow(3x1.5 cm) and left wrist joint and hand(2.5x1.5 cm), 2. Lacerated wound with swelling (2.5x0.5cm with muscle deep) Right lower leg over shin of Tibia. 3.Pain and swelling over right knee(3x1.5 cm) and left knee(4x2.5cm) सभी चोटें कुंद हथियार से कारित थी। सभी चोटों की प्रकृति जानने के लिए एक्स–रे की सलाह दी गयी। चोटों की अवधि 0 से 6 घण्टे के मध्य की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 15 है। जिसकी एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 है। उसकी राय के मुताबिक सभी चोटें बाद एक्स–रे साधारण प्रकृति की पायी गयी। जिसकी एक्स–रे फिल्म प्रदर्श पी 17 लगायत प्रदर्श पी 20 है। गवाह ने आगे कथन किया है कि उसी दिन समय करीब 1.00 पीएम पर उसने पुलिस थाना नवलगढ़ की प्रार्थना पत्र पर मजरूब विजेन्द्र पुत्र शिवकरण, उम्र 30 साल, जाति जाट निवासी खौजास के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल परीक्षण किया था। जिसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गईः–1. Lacerated wound 30x3.5 cm with muscle deep over scalp occipitotemporal parital area., 2. Pain and swelling over right hand 3x 1.5 cm and over left hand 1.5x1cm. 3. Lacerated wound with swelling over both leg(shin of Tibia) right leg(3x1cm) and left leg 2.5x1.5cm. ,4. Small lacerated wound over right hand fingers.सभी चोटें कुंद हथियार से कारित थी। चोट नंबर 1 की प्रकृति जानने के लिए सीटी स्कैन की सलाह दी गयी तथा चोट नंबर 2 व 3 की प्रकृति जानने के लिए एक्स–रे की सलाह दी गयी तथा चोट नंबर 4 साधारण प्रकृति की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 21 है। सभी चोटों की अवधि 0 से 6 घण्टें के मध्य की थी। जिसकी एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 22 है। उसकी राय के मुताबिक चोट नंबर 1 साधारण प्रकृति की थी तथा चोट नंबर 2 व 3 ऑपरेशन व क्लीनिकल नोट्स एण्ड रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट के आधार पर ऐन्डेंजरिंग टू लाईफ थी। उक्त राय बैड हैड टिकिट एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर की थी। एक्स–रे फिल्म प्रदर्श पी 23 लगायत प्रदर्श पी 26 है।

44. गवाह पी.ड.4 ने आगे कथन किया है कि उसी दिन मजरूब खेताराम पुत्र फूलाराम, जाति सैनी, उम्र 62 साल, निवासी गुहाला के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण किया गया था। जिसके शरीर पर निम्न चोटें थीः–1. Pain and swelling right lower leg over shin of Tibia., 2. C/O Pain left Hip joint., 3. Lacerated

wound 1x0.5 cm left side of upper lip. चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 27 है। चोटों की अवधि 0 से 6 घण्टे के मध्य की थी। सभी चोटें कुंद हथियार से कारित थी। चोट नंबर 1 व 3 साधारण प्रकृति की थी, चोट नंबर 2 की प्रकृति जानने के लिए एक्स–रे की सलाह दी गयी। जिसकी एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 28 है। उसकी राय में मुताबिक चोट नंबर 3 साधारण प्रकृति की थी। जिसकी एक्स–रे फिल्म प्रदर्श पी 29 है। उसी दिन समय 1.00 पीएम पर मजरूब राजेन्द्र पुत्र बनवारी, उम्र 38 साल जाति जाट निवासी खोजास के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल पुलिस थाना नवलगढ़ की प्रार्थना पत्र किया गया था। जिसके शरीर पर निम्न चोटें थी। 1. Small lacerated wound over right thumb., 2. Pain and swelling 2x1.5 cm over left lower leg shin of Tibia. दोनों चोटें कुंद हथियार से कारित थी। चोट नंबर 1 साधारण प्रकृति की थी। चोट नंबर 2 की प्रकृति जानने के लिए एक्स–रे की सलाह दी गयी। चोटों की अवधि 0 से 6 घण्टे के मध्य की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 30 है। जिसकी एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 31 है। उसकी राय के मुताबिक चोट नंबर 1 व 2 गंभीर प्रकृति की थी। जिसकी एक्स–रे फिल्म प्रदर्श पी 32 व प्रदर्श पी 33 है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी–15 की सभी चोटें नॉन वाईटल पार्ट पर थी। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–15 वाली सभी चोटें एक ही समय में आ सकती है। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–21 में दर्शित चोट नंबर 2 व 3 हार्ड सरफेद पर गिरने से व पत्थर पर गिरने से आने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रदर्श पी–21 की चोट नंबर 2 अगर प्रकृति में गंभीर हो तो भी प्राणघातक नहीं हो सकती। प्रदर्श पी–21 की अकेली चोट नंबर–3 के लिए प्राणघातक होने की राय उसने नहीं दी। गवाह ने स्वीकार किया कि वह किसी भी आहत का ट्रिटिंग डॉक्टर नहीं था। उसने आहत विजेन्द्र व राजेन्द्र की चोटों की राय लगभग 20 दिन बाद दी थी।

45. गवाह पी.ड.10 महेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 29.01.2016 को वह राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़ में रेडियोग्राफर के पद पर तैनात था। उस दिन उसने डॉ. योगेश जाखड़ की उपस्थिति एवं निर्देशन में मजरूब अंकित पुत्र श्री ओमप्रकाश उम्र 26 साल निवासी कैरू पुलिस थाना नवलगढ़ के शरीर के लेफ्ट हैंड विद रिस्ट, दाहिनें पैर की दोनों हड्डियों का, दाहिनें व बायें घुटने का कुल चार एक्सरे प्लेट तैयार किये थे। जिसकी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–16 है। जिसकी एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–17 से 20 है। गवाह ने आगे कथन किया है कि दिनांक 06.06.2016 को उसने डॉ योगेश जाखड़ की उपस्थिति एवं निर्देशन में मजरूब विजेन्द्र पुत्र श्री शिवकरण उम्र 30 निवासी खोजास के शरीर के निम्न भागों का एक्सरे उसके द्वारा तैयार किये गयेः–1. दाहिनें हाथ व कलाई, 2. बायें हाथ व कलाई, 3. दाहिनें हाथ की अग्रभुजा, 4. बायें लेग का घुटने सहित व 5. दाहिनें लैग के पूरे भाग का एक्सरे किया था। जिसकी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–22 है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–23 से पी–26 है। दिनांक 25.01.2016 को मजरूब खेताराम पुत्र फूलाराम उम्र 62 निवासी भुहाना के शरीर का एकमात्र एक्सरे डॉ. योगेश जाखड़ की उपस्थिति एवं निर्देशन में दोनों कुल्हों का एक्सरे किया था, जिसकी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–28 है, जिसकी एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–29 है। दिनांक 03.02.2016 को उपरोक्त अस्पताल में वह उपरोक्त पद पर कार्यरत था। उस दिन मजरूब राजेन्द्र पुत्र बनवारी उम्र 38 निवासी खोजास के एक्सरे डॉ. योगेश जाखड़ की उपस्थिति व निर्देश में उसके द्वारा तैयार किये गये थे। जिसमें एक दाहिनें हाथ का एवं दूसरा बायें लैग का था। जिसकी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–31 है एवं जिसकी एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–32 व 33 है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि आहतों के एक्सरे घटना के लगभग एक माह बाद करवाये थे। मजरूबान की चोटों के संबंध में उसने कोई राय नहीं दी।

46. गवाह पी.ड.32 सूर्यप्रकाश शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 04.02.2016 को वह एसएमएस अस्पताल जयपुर में मेडिकल रिकार्ड ऑफिसर के

पद पर पदस्थापित था। उस दिन उसने रिकार्ड में उपलब्ध डॉक्यूमेंट मजरूब विजेन्द्र सुण्डा से संबंधित कागजात जो दिनांक 16.01.2016 से दिनांक 23.01.2016 तक के थे, उक्त दस्तावेजों के बैड हैड टिकट व ईलाज से संबंधित दस्तावेजों को मूल रिकार्ड से मिलान करके सत्यापित करके पुलिस वालों को उपल्बध करवाए थे, जो कुल दस पृष्ठों में है जो प्रदर्श पी–117 लगायत प्रदर्श पी–126 है। जिस पर ए से बी उसके प्रमाणिकरण के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि असल रिकार्ड की फोटोकॉपी करके उसने अटेस्टेड किया था। दस्तावेज जब बने तब ये दस्तावेज उसके सामने तैयार नहीं हुए थे। दस्तावेज कब व किन परिस्थितियों में बने व इनमें क्या लिखा गया, इसका उसे नहीं पता।

47. पत्रावली पर आई उपरोक्त साक्ष्य का प्रकरण में विचारणीय बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्मता से विवेचन किया जावे तो प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 16.01.2016 को दोपहर करीब 11 बजे मौजा ग्राम मोहनवाड़ी सेठवाली प्याउ से खिरोड़ रास्ते पर स्थित फैक्ट्री में मजरूबान विजेन्द्र, राजेन्द्र, खेताराम एवं अंकित के साथ मारपीट करने, डकैती करने के सामान्य उद्देश्य से दीगर साथियों के साथ मिलकर घातक हथियारों से लैश होकर अवैध जनसमूह का गठन किया और बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया। विधि विरूद्ध जमाव को धारा 141 भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार ''पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरूद्ध जमाव कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का जिनसे जमाव गठित हुआ है, का सामान्य उद्देश्य रिष्टि या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध करना हो। जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध घातक आयुधों से सुसज्रित होकर बलवा कारित किए जाने के अपराध का आरोप है तो इसके लिए अभियोजन पक्ष को यह तथ्य सम्यक रूप् से साबित करना था कि अभियुक्तगण घातक आयुधों से या किसी ऐसी चीज से जिसे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग करने से मृत्यु होना संभाव्य है, लैश थे। इस संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो विचाराधीन प्रकरण परिवादी सुभाष द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–108 के आधार पर संस्थित हुआ है, जिसमें परिवादी ने यह तथ्य अंकित किया है कि आज दिनांक 16.01.2016 को दोपहर करीब 11 बजे वे फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तब अचानक फैक्ट्री का मैनगेट का दरवाजा खोलकर श्रीराम, ताराचंद, सुरेन्द्र, मनोहरलाल, भोपाल सिंह, धर्मपाल, सजना देवी, मंजू देवी, राजेन्द्र, बुलबुल उर्फ पूजा, देवकरण, हरिराम, सुरजाराम, दिनेश, आशेक, सुंदर देवी, कमला देवी, परमेश्वरी देवी, सावित्री देवी, बिदामी देवी, मूलाराम, सुरेन्द्र, सुभाष, ओपेन्द्र, विधाधर, श्रीराम पुत्र मंगलाराम, तीजा देवी, सावित्री, बजरंगलाल संतोष देवी, जयचंद एवं 10–15 पुरूष व अन्य महिलाएं एक राय होकर हाथों में लाठियां सरिया, पत्थर, धारदार औजार लेकर अंदर फैक्ट्री परिसर में घुस गये। इस प्रकार परिवादी ने लिखित रिपोर्ट में 31 व्यक्तियों को नामजद एवं 10–15 अन्य व्यक्तियों का घटना में शामिल होना बताया है। उक्त नामजद अभियुक्तगण में से हरिराम, राजेन्द्र, सुभाष, बजरंगलाल, श्रीराम, भापोल सिंह, मनोहरलाल, ओपेन्द्र, धर्मपाल उर्फ धोलू व श्रीराम पुत्र मंगलाराम का विचारण न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान पी.ड.2 मोहनलाल, पी.ड.3 खेताराम, पी.ड.6 अंकित कुमार, पी.ड.7 ओमप्रकाश, पी.ड.11 हितेश थोरी, पी.ड.13 जितेन्द्र, पी.ड.19 राजेन्द्र, पी.ड.22 विजेन्द्र सिंह एवं परिवादी सुभाषचंद पी.ड.15 ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण हरिराम, बजरंगलाल, देवकरण, अशोक, दिनेश, धर्मपाल, भोपाल, मनोहरलाल, सजना देवी, मंजू देवी, कमला, सुंदर देवी, परमेश्वरी, तीजा, सावित्री, बिदामी, अशोक, श्रीराम, मनोहरलाल, सुरेन्द्र, उपेन्द्र, सुभाष व मूलाराम का घटना में शामिल होना बताया है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का मुख्य तर्क यह रहा है कि प्रतिपरीक्षा में गवाहान विचाराधीन अभियुक्तगण के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा मारपीट किए जाने का साक्ष्य दिया है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि उक्त गवाहान ने मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण का घटना में

सम्मिलित होने का साक्ष्य दिया है लेकिन प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन नहीं किया है कि विचाराधीन अभियुक्तगण घटना में सम्मिलित नहीं हैं। विचाराधीन अभियुक्तगण संख्या में 09 है। जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध घातक आयुधों या ऐसी चीज से जिसे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, से सुसज्जित होकर बल व हिंसा का प्रयोग किए जाने के आरोप का संबंध है तो अभियुक्तगण से किसी प्रकार के घातक आयुध की बरामदगी अनुसंधान के दौरान नहीं हुई है। प्रकरण में अभियुक्त सुभाष पुत्र मूलचंद की ईत्तिला एवं उसकी निशादेही से एक झाड़ी की लाठी, अभियुक्त भोपाल सिंह से एक लोहे का पाईप, अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र मंगलाराम की ईत्तिला से बबूल की लकड़ी बरामद हुई है किन्तु उक्त लाठी व पाईप पर किसी प्रकार का कोई खून नहीं पाया गया है। अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य के अनुसार उक्त घटना अचानक कारित हुई है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण का घातक आयुधों से सुज्जित होने का तथ्य प्रमाणित नहीं हुई किन्तु अभियुक्तगण द्वारा विधि विरूद्ध जमाव का गठन किए जाने एवं जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किए जाने बाबत धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता का तथ्य भली भांति प्रमाणित होता है।

48. अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप है कि अभियुक्तगण ने विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होते हुए परिवादी पक्ष के मकान, फैक्ट्री में उपहति कारित करने, हमला आदि की तैयारी के पश्चात अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया और आहतगण का सदोष अवरोध कर आहतगण के साथ स्वेच्छया मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की एवं आहतगण राजेन्द्र व विजेन्द्र के साथ कुंदालय से मारपीट कर गंभीर उपहति कारित की तथा परिवादी पक्ष के खड़े हुए वाहनों के शीशे, सीसीटीवी कैमरे, एसीडी सैट, दरवाजे व अन्य सामान को तोड़कर परिवादी पक्ष को 50 रूपये से अधिक की रिष्टि कारित की। इस संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का सूक्ष्मता से विवेचन किया जावे तो परिवादी सुभाषचंद पी.ड.15 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 16.01.2016 को समय 11.00 एएम पर वह, उसका भाई ओमप्रकाश, उसका भतीजा अंकित कुमार, बिजेन्द्र सिंह सूण्डा, बिजेन्द्र का भाई जितेन्द्रसिंह एवं राजेन्द्र सिंह एवं उसका मुनीम मोहनलाल, उसका रसोईयां खेताराम एवं पांच मजदूर/श्रमिक वहां थे। उस दिन वे अपनी ग्राईंडिंग यूनिट की पूजा–पाठ कर रहे थे जो ऑफिस में कर रहे थे। रसोईयां खेताराम रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। मोहनलाल प्लांट की तरफ था। उनकी फैक्ट्री का मैन गेट बंद था, उसको खोलकर भोपालसिंह, धर्मपालसिंह, सज्ञना देवी, मनोहरलाल, मंजू देवी, राजेन्द्र कुमार, पूजा, परमेश्वरी, हरिराम, कमला देवी, देवकरण, सुन्दरी देवी, दिनेश कुमार, अशोक कुमार, श्रीराम पुत्र मंगलाराम रणवां, ताराचंद, सुरेन्द्र पुत्र मंगलाराम रणवां, सावित्री पत्नी शुभलाल, मूलाराम, सुरेन्द्र पुत्र मूलाराम, ओपेन्द्र, तीजा देवी, श्रीराम पुत्र मंगलाराम नेहरा, विधाधर, बजरंगलाल, संतोष देवी, जयचंद, बिदामी देवी, सावित्री देवी पत्नी श्रीराम नेहरा ये सभी एवं इनके अतिरिक्त करीब 10–15 महिला एवं पुरूष उनके परिसर में घुस गये, ये लोग हाथों में लाठियां, सरियें, एंगल, पत्थर एवं धारदार औजार लेकर उनके परिसर में उन्हें मारने की पूरी तैयारी करके अंदर आ गए। मूलाराम, हरिराम, भोपालसिंह, मनोहरसिंह, श्रीराम ने आकर जोर से कहा कि इनको सबको जान से मारना है और वो उन्हें मारने लग गए। इनमें से बजरंगलाल, संतोष देवी, श्रीराम रणवां ने उसके साथ मारपीट की। इन लोगों ने बिजेन्द्र सिंह, अंकित कुमार, राजेन्द्र कुमार, खेताराम के साथ खूब मारपीट की। बिजेन्द्र के सरिया, लाठी एवं धारदार औजार से उसके दोनों पैर तोड़ दिए, दोनों हाथ तोड़ दिए और सिर पर भी गंभीर चोटें मारी, जिससे वो मरने की स्थिति में चला गया था। अंकित कुमार, राजेन्द्र व खेताराम के साथ भी जान से मारने की नियत से सरिये, लाठी व धारदार औजारों से इन लोगों ने मारपीट की, जिससे अंकित के पैरों में धारदार सरियों से छेद हो गए और पूरे शरीर पर लाठियों से खून मारा, राजेन्द्र के पैरों, हाथों पर एवं पूरे शरीर पर खूब चोटें मारी जो जान से मारने की नियत

से मारी, खेताराम के भी जान से मारने की नियत से खून चोटें मारी, जिससे उसका होंठ भी कट गया, पैरों में व हाथों में चोटें लगी। ये लोग पूरी तैयारी करके उन्हें जान से मारने की नियत से, लूटपाट करने की नियत एवं डकैती की नियत से आए थे। इन्होंने उनके ऑफिस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरें, एलईडी, डीवीआर, हमारे कागजात् एवं अन्य सामान लूटकर ले गए। इन्होंने उनके ऑफिस में लगे दरवाजे, खिड़कियां, कुर्सियां, टेबलों को भी तोड़ा–फोड़ा एवं बाहर खड़ी हुयी उनकी दो स्कॉरपिओ गाड़ी, दो मोटरसाईकिल, एक स्वीफ्ट कार में भी खूब तोड़–फोड़ की, शीशे बोनट बॉडी को लाठियों, सरियों से तोड़–फोड़ दिया एवं इन गाड़ियों की चाबियां एंव कागजात् भी निकालकर ले गए। ये लोग अंकित कुमार का मोबाईल हैण्ड सैट, राजेन्द्र के सोने की चैन अंगुठी जबरन लूटकर ले गए। इन लोगों ने उनकी मशीनरी में भी तोड़–फोड़ की। इससे पहले इन लोगों ने उनकी गाड़ियां जो पहाड़ी से कच्चा माल लेकर आ रही थी, उनको मैन रास्ते में जबरन खाली करवा लिया, जिससे रास्ता बंद हो गया। इन लोगों ने यह इस नियत से किया कि वे जब घटना घटित करेंगें तो पुलिस एवं एम्बूलेंस की गाड़ियां या अन्य कोई व्यक्ति इनके बचाव के लिए नहीं आ पाए। ये लोग काफी देर तक वहां ताण्डव मचाते रहे। उसके भाई ओमप्रकाश, जितेन्द्र सिंह को भी इन्होंने मारा–पीटा। इस प्रकार उक्त गवाह ने स्पष्ट से अभियुक्तगण द्वारा उनकी फैक्ट्री में प्रवेश करने एवं आहतगण विजेन्द्र, राजेन्द्र, खेताराम एवं अंकित के साथ मारपीट किए जाने का साक्ष्य दिया है। गवाह से जो विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई है। उसमें गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जिससे गवाह द्वारा मुख्य परीक्षा में किए गए कथनों का खण्डन होता है। गवाह ने जिरह में स्वीकार किया है कि विजेन्द्र, राजेन्द्र अंकित व खेताराम के साथ किस–किस व्यक्ति ने किस हथियार से मारपीट की यह बात उसने पुलिस को नहीं बतायी। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने 10–15 महिला व पुरूष का परिसर के अंदर घुसना बताया है, उनमें से कितने पुरूष व महिला के हाथ में लाठी, सरिये व पत्थर थे, वह नहीं बता सकता। उन महिला व पुरूष ने कितनी–कितनी चोटें मारी उसने नहीं गिनी। गवाह ने कथन किया है कि औरतों ने उनके साथ मारपीट की थी, औरतों द्वारा मारपीट करने पर बिजेन्द्र के खून आया था। इस प्रकार उक्त गवाह ने जिरह में स्पष्ट रूप से विचाराधीन अभियुक्तगण द्वारा फैक्ट्री में घुसने एवं आहतगण के साथ मारपीट किए जाने के तथ्य से इन्कार नहीं किया गया है।

49. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण पी.ड.2 मोहनलाल, पी.ड.3 खेताराम, पी.ड.6 अंकित कुमार, पी.ड.7 ओमप्रकाश, पी.ड.11 हितेश थोरी, पी.ड.13 जितेन्द्र, पी.ड.19 राजेन्द्र, पी.ड.22 विजेन्द्र सिंह ने भी अपने मुख्य परीक्षण में एक स्वर में परिवादी गवाह पी.ड.15 के कथनों की ताईद करते हुए कथन किये हैं एवं स्पष्ट रूप से प्रकरण के विचाराधीन अभियुक्तगण द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर फैक्ट्री में प्रवेश कर आहतगण, राजेन्द्र, विजेन्द्र, सुभाष व अंकित के साथ लाठियों से मारपीट किए जाने का साक्ष्य दिया है। गवाहान ने अभियुक्तगण द्वारा मारपीट कर आहत राजेन्द्र व विजेन्द्र के हाथ पैर तोड़ दिए जाने एवं फैक्ट्री का दरवाजा, टेबल, कुर्सी, एलईडी, इन्वेटर, कैमरा, स्कार्पियो गाड़ी, स्विफ्ट गाड़ी, मोटसाईकिल को तोड़फोन किए जाने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में गवाह पी.ड.2 मोहनलाल ने स्पष्ट कथन किया है कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई। घटना के वक्त वह छिप गया था। वह जब पहुंचा तब उसने चार व्यक्तियों के चोटें देखी थी। इसी प्रकार गवाह पी.ड.3 खेताराम ने भी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसके उपर हमला सबसे अंत में हुआ था। इसी प्रकार गवाह पी.ड.6 अंकित कुमार ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि किन–किन व्यक्तियों ने गाड़ियां तोड़ी, कितनी–कितनी चोटें मारी, इन्वर्टर तोड़े, सीसीटीवी तोड़े, खिड़कियां तोड़ी उनके नाम वह पर्टिक्यूलर नहीं बता सकता। विजेन्द्र व राजेन्द्र के साथ किन–किन लोगों ने किस हथियार से मारपीट की, उसे नहीं पता। इस प्रकार गवाह द्वारा किस अभियुक्त द्वारा किस आहत के साथ मारपीट की गई, इस संबंध में जानकारी नहीं होना बताया गया है किन्तु गवाह ने जिरह में यह कथन नहीं किया है कि

विचाराधीन अभियुक्तगण मारपीट करने वालों में सम्मिलित हीं नहीं थे एवं उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया। इसी प्रकार अन्य गवाह पी.ड.7 ओमप्रकाश ने भी जिरह में कथन किया है कि उसके साथ मारपीट करने वाले जिन 30–35 लोगों के बारे में बताया है, उनमें किसी के पास लकड़ी थी, किसी के पास सरिया था तथा किसी के पास लोहे के पाईप थे। उसके थप्पड़ मुक्के ही लगे थे, किसने, किसको मारा, यह उसे नहीं पता। अज खुद कहा कि सभी ने सभी को मारा था। इसी प्रकार गवाह पी.ड.11 हितेश थोरी ने जिरह में कथन किया है कि 15–20 महिलाएं थी, जिनके हाथों में सरिये, लाठियां, व पाईप थी। उन औरतों ने तीन चार व्यक्तियों के धड़ाधड़ मारी। इस प्रकार गवाह ने जिरह में यद्यपि महिलाओं द्वारा मारपीट किए जाने का कथन किया है किन्तु विचाराधीन अभियुक्तगण मारपीट करने वालों एवं तोड़फोड़ करने वालों में सम्मिलित नहीं हो या उनके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई, इससे स्पष्ट रूप से इन्कार नहीं किया गया है। इसी प्रकार गवाह पी.ड.13 जितेन्द्र ने भी जिरह में कथन किया है कि धर्मपाल, मनोहर, हरिराम, बजरंगलाल व और भी कई लोगों के हाथ में धारदार हथियार थे। किसने किसको किस जगह पर मारा, यह वह नहीं बता सकता क्योंकि भगदड़ मच गयी थी। इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित आहतगण ने स्पष्ट रूप से प्रकरण के विचाराधीन अभियुक्तगण हरिराम, राजेन्द्र, सुभाष, बजरंगलाल, श्रीराम, भोपाल सिंह, मनोहरलाल, ओपेन्द्र, धर्मपाल उर्फ धोलू व श्रीराम पुत्र मंगलाराम द्वारा आहतगण राजेन्द्र, विजेन्द्र, अंकित व सुभाष के साथ मारपीट किए जाने व फैक्ट्री में तोड़फोड़ किए जाने का साक्ष्य दिया है। आहत/गवाह विजेन्द्र पी.ड.22 ने जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जिससे गवाह द्वारा अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किए जाने के कथनों का खण्डन होता हो।

50. आहतगण राजेन्द्र, विजेन्द्र, अंकित व सुभाष का घटना के तुंरत पश्चात दिनांक 16.01.2016 को ही चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया है, जिसके संबंध में गवाह पी.ड.4 डॉ. योगेश कुमार जाखड़ को अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाया गया है। गवाह पी.ड.4 डॉ. योगेश कुमार जाखड़ ने स्पष्ट रूप से आहत अंकित के शरीर पर कुल तीन चोटें साधारण प्रकृति की, आहत खेताराम के शरीर पर कुल 3 चोटें साधारण प्रकृति की, आहत विजेन्द्र के शरीर पर कुल 04 चोटें जिनमें से दोनों हाथों एवं पैरों की अस्थिभंग होने के कारण दो चोटें साधारण व दो चोटें साधारण प्रकृति की तथा आहत राजेन्द्र के शरीर पर कुल दो चोटें दाहिनें अंगूठे एवं बायें पैर की अस्थि भंग होने से चोटें गंभीर प्रकृति की होने एवं सभी आहतगण को चोटें कुंदालय से कारित होने का साक्ष्य दिया है। गवाह ने उक्त सभी आहतगण की चोटों की अवधि 0–6 घंटे के मध्य की होने का साक्ष्य दिया है। इस प्रकार चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य से भी घटना में आहतगण राजेन्द्र, विजेन्द्र, अंकित व सुभाष के साथ मारपीट किए जाने के परिणाम स्वरूप साधारण प्रकृति की चोटें कारित होने एवं आहत राजेन्द्र व विजेन्द्र के गंभीर प्रकृति की उपहति कारित होने की ताईद होती है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि वह किसी भी आहत का ट्रिटिंग डॉक्टर नहीं था। गवाह ने आहतगण को कारित चोटें गिरने पड़ने से आने की संभावना से इन्कार नहीं किया किन्तु अभियुक्तगण की ओर से न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की कोई साक्ष्य पेश नहीं की है कि आहतगण को कारित चोटें मारपीट के अलावा अन्य किसी कारण से आई हैं। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण की उपरोक्त साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता को प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा है।

51. जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 455 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप के संबंध में साक्ष्य का विवेचन किया जावे तो परिवादी द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–108 में अभियुक्तगण व अन्य महिला व पुरूषों का हाथों में लाठियां, सरिया, पत्थर धारदार औजार लेकर आने का तथ्य अंकित किया है। न्यायालय के समक्ष परीक्षित होते समय भी परिवादी सुभाष एवं अन्य गवाहान पी.ड.2 मोहनलाल, पी.ड.3 खेताराम, पी.ड.6 अंकित कुमार, पी.ड.7 ओमप्रकाश,पी.ड.11 हितेश थोरी, पी.ड.13

जितेन्द्र, पी.ड.19 राजेन्द्र, पी.ड.22 विजेन्द्र सिंह ने अभियुक्तगण का हाथों में लाठियां, सरिये, पत्थर, एंगल लेकर आने का कथन किया है किन्तु किस अभियुक्त के हाथ में कौनसा हथियार था, इस सबंध में स्पष्ट साक्ष्य नहीं दिया है। प्रतिपरीक्षा में भी उक्त गवाहान ने स्पष्ट कथन किया है कि किस अभियुक्त के हाथ में कौनसा हथियार था, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। इस प्रकार अभियोजन गवाहान की यह स्वीकारोक्ति रही है कि उन्हें इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि अभियुक्तगण किन प्रकार के हथियारों से लैश होकर आए थे। अभियोजन गवाहान की साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष एक तथ्य भी उभरकर आया है कि परिवादी पक्ष गांव में ड्स्ट फैक्ट्री का संचालन करना चाहते थे, जिसका ग्रामीण काफी समय से विरोध कर रहे थे। गवाह पी.ड.22 विजेन्द्र सिंह ने जिरह में स्पष्ट कथन किया है कि ग्रामीण लोग एक–दो महिने से फैक्ट्री चलाने का विरोध कर रहे थे। ये लोग उन्हें फैक्ट्री में आने नहीं देते थे। गवाह ने स्वीकार किया कि इन्होनें जिला कलेक्टर और उस समय मंत्री राजेन्द्र राठौड़ को हमारी फैक्ट्री के आबादी में होने व स्कूल पर विपरीत प्रभाव होने की शिकायत की थी। महावीर सिंह शेखावत ने उन ग्राम पंचायत के लोगो हमारी फैक्ट्री का विरोध कर रहे थे, उनमें सक्रिय भागीदारी निभा रहे थे। इस प्रकार स्वयं आहत विजेन्द्र की यह स्वीकारोक्ति रही है कि परिवादी पक्ष द्वारा ग्राम मोहनवाड़ी में स्थापित फैक्ट्री के संचालन को लेकर ग्रामीण लोग काफी समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी विरोध प्रदर्शन के चलते भीड़ के आक्रोशित होने से यह घटना कारित हुई थी। अनुसंधान अधिकारी पी.ड.34 कैलाशचंद ने जिरह में स्पष्ट कथन किया है कि क्रेसर को लेकर आरोपियों एवं ग्रामीणों के बीच अचानक विवाद हुआ था। इस प्रकार साक्ष्य से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि घटना अचानक कारित हुई और अभियुक्तगण व अन्य ग्रामीणों का आशय अभियुक्तगण के साथ मारपीट करने का नहीं रहा वरन् फैक्ट्री संचालन रोकने का रहा था।

52. अभियुक्तगण से हुई बरामदगी को देखा जावे तो अनुसंधान के दौरान अभियुक्त सुभाष से एक झाड़ी की लाठी जरिए फर्द प्रदर्श पी–42, अभियुक्त भोपाल सिंह से एक लोहे का पाईप जरिए फर्द प्रदर्श पी–44, अभियुक्त राजेन्द्र से एक बबुल की लाठी जरिए फर्द प्रदर्श पी– 47 बरामद हुई है। उक्त बरामदशुदा लाठियों एवं लोहे के पाईप पर किसी प्रकार का मानव रक्त नहीं पाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियुक्तगण से किसी प्रकार के हथियार, लाठी की बरामदगी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में उक्त बरामदगी से भी यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में अवैध जन सूमह का सदस्य होते हुए उपहति करने, हमला करने आदि की तैयारी के पश्चात अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार किया हो। यद्यपि साक्ष्य से अभियुक्तगण का परिवादी पक्ष की फैक्ट्री में प्रवेश किये जाने का तथ्य भली भांति साबित हुआ है किन्तु अभियुक्तगण किसी हमले या उपहति की पूर्व तैयारी के साथ फैक्ट्री में प्रवेश किया हो, यह तथ्य साक्ष्य से साबित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 455 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित नहीं होता है किन्तु अभियुक्तगण द्वारा कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए परिवादी पक्ष की फैक्ट्री में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किए जाने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित हुआ है ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 455 भारतीय दण्ड संहिता के स्थान पर धारा 451 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित होता है।

53. जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 427 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है तो परिवादी सुभाष ने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–107 में स्पष्ट यह तथ्य अंकित किया है कि '' उनके ऑफिस के दरवाजे, खिड़कियों, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, वहां खड़ी हुई उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी, उनकी मशीनरी में तोड़ फोड़ कर दी। साक्ष्य के दौरान परिवादी सुभाष पी.ड.15 ने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि ''इन्होनें हमारे ऑफिस में लगे दरवाजे, खिड़कियां, कुर्सियां, टेबलों को तोड़ा–फोड़ा एवं बाहर खड़ी हुई हमारी दो स्कॉर्पियो गाड़ी, दो मोटरसाईकिल, एक स्विफ्ट कार में भी खूब तोड़फोड़

की।'' इस प्रकार उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण द्वारा फैक्ट्री में तोड़ फोड़ किए जाने और गाड़ियों में तोड़फोड़ किए जाने का साक्ष्य दिया है। उक्त गवाह के कथनों की ताईद अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण गवाह पी.ड.2 मोहनलाल, पी.ड.3 खेताराम, पी.ड.6 अंकित कुमार, पी.ड.7 ओमप्रकाश,पी.ड.11 हितेश थोरी, पी.ड.13 जितेन्द्र, पी.ड.19 राजेन्द्र, पी.ड.22 विजेन्द्र सिंह की साक्ष्य से भी होती है। उक्त गवाहान से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जो विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई है, उससे अभियुक्तगण द्वारा फैक्ट्री में कैमरे, दरवाजे इत्यादि तोड़े जाने एवं दो स्कार्पियो, दो मोटरसाईकिल एवं एक स्विफ्ट गाड़ी में तोड़फोड़ किए जाने के तथ्य का खण्डन नहीं होता है। अनुसंधान अधिकारी पी.ड़34 कैलाशचंद ने भी दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–10 एवं हालात मौका प्रदर्श पी–117 बनाए जाने का कथन किया है। हालात मौका प्रदर्श पी–117 का अवलोकन किए जाने से मोके पर रसोई में तोड़ फोड़ किए जाने, सीसीटीवी कैमरे की लाईन तोड़ी हुई होने, खिड़कियां टूटी हुई होने, कुर्सियां, कांच के शीशे जगह–जगह टूटे हुए होना दिखाए गए हैं। उक्त हालात मौका घटना के अगले दिन दिनांक 17.01.2016 को ही तैयार किया गया है। अनुसंधान अधिकारी ने दौराने अनुसंधान घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त वाहनों का निरीक्षण किए जाने एवं निरीक्षण रिपोर्ट तैयार किए जाने का कथन किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से फर्द निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–11 से पी–14 एवं पी–110 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। उक्त फर्दात का ध्यानपूर्वक परिशील किया जावे तो प्रदर्श पी–11 स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर आरजे 18 यूसी 0101 की निरीक्षण रिपोर्ट है, जिसके अनुसार गाड़ी का आगे का शीशा, पीछे का शीशा, दोनो पीछे की खिड़कियों के शीशे, आगे की खिड़ियों के शीशे पूरी तरह से टूट हुए हैं। इसी प्रकार प्रदर्श पी–12 वाहन मोटरसाईकिल नंबर आरजे 18 3 एम 0056 की फर्द निरीक्षण रिपोर्ट है, जिसके अनुसार मोटरसाईकिल की सामने की हैड लाईट टूटी हुई है, दाहिने तरफ का इंडीकेटर टूटा हुआ है, किलोमीटर मशीन टूटी हुई है और शीशा टूटा हुआ है। इसी प्रकार प्रदर्श पी–13 वाहन स्कार्पियो नंबर आरजे 18 यूए 7951 की फर्द निरीक्षण रिपोर्ट है, जिसके अनुसार गाड़ी के सामने का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, चारों खिड़कियों के शीशे, पीछे की तरफ के शीशे टूटे हुए हैं। गाड़ी पूरी तरह से टूटी हुई है। पिछले फाटक के उपर तोड़फोड़ के निशान है। गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। गाड़ी के अंदर शीशे टूटे हुए पड़े हैं। फर्द प्रदर्श पी–14 मोटरसाईकिल नंबर आरजे 18 एसजी 8761 की निरीक्षण रिपोर्ट है,जिसके अनुसार मोटरसाईकिल के दोनों शीशे,सामने का वाईजर, पीछे के इंडीकेटर, मीटर मशीन टूटी हुई है और मोटरसाईकिल क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हुई होना अंकित है। प्रदर्श पी–110 वाहन स्विफ्ट वीडीआई नंबर आरजे 18 सीए 5452 की फर्द निरीक्षण रिपोर्ट है, जिसके अनुसार वाहन के सामने का शीशा, पीछे का शीशा तथा खिड़कियों के सभी शीशे टूटे हुए हैं और वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। इस प्रकार उक्त फर्द निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–11 लगायत पी–14 व पी–110 से परिवादी पक्ष के वाहन दो स्कार्पियो गाड़ी, एक स्विफ्ट गाड़ी एवं दो मोटरसाईकिलों को अभियुक्तगण द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के कथनों की ताईद होती है। अभियुक्तगण की ओर से इस संबंध में कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है कि उक्त वाहन मौके पर नहीं थे और उक्त वाहन किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष की फैक्ट्री में तोड़फोड़, परिवादी पक्ष के वाहनों में तोड़फोड़ कर रिष्टि कारित किए जाने का तथ्य अभियोजन पक्ष साबित करने में सफल रहा है।

54. अब यदि अभियुक्तगण के विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में आहत विजेन्द्र व राजेन्द्र के घोर उपहति कारित करने के साथ परिवादी पक्ष के ऑफिस में लगे हुए सी.सी.टी.वी कैमरे, एलसीडी सैट, ईन्वर्टर सैट, कागजात, सोने की चैन, अंगूठी, रूपये जबरन लूटकर डकैती किए जाने बाबत साक्ष्य का अवलोकन करें तो परिवादी सुभाष ने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–107 में यह तथ्य अंकित किया है कि ''हमारी गाड़ियों की चाबियां, ऑफिस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की मशीने, एसीडी सैट, इन्वर्टर सैट, कागजात एवं रूपये

जबरन उठाकर ले गए।'' परिवादी सुभाष पी.ड.15 ने साक्ष्य के दौरान कथन किया है कि अभियुक्त श्रीराम रणवा ने उसकी जेब से जबरन 950/– रूपये जिसमें एक नोट 500 का व चार नोट 100–100 के व एक नोट 50 का छीन लिया, अशोक ने उसका नोकिया कंपनी का मोबाईल छीन लिया, इन्होनें हमारे ऑफिस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे, एलईडी, डीवीआर, कागजात एवं अन्य सामान लूटकर ले गए। इन लोगों ने गाड़ियों की चाबियां एवं कागजात भी निकाल कर ले गए। ये लोग अंकित कुमार का मोबाईल हैड सैट, राजेन्द्र की सोने की अंगूठी जबरन लूटकर ले गये। इस प्रकार परिवादी ने अपनी लिखित रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह तथ्य अंकित नहीं किया है कि किस अभियुक्तगण द्वारा क्या लूटा गया एवं कितने रूपयों की लूट की गई, जबकि मुख्य परीक्षा में प्रथम बार यह कथन किया है कि अभियुक्त श्रीराम ने उसकी जेब से 950/– रूपये जबरन निकाल लिए। परिवादी ने लिखित रिपोर्ट में मोबाईल छीने जाने का तथ्य अंकित नहीं किया है जबकि मुख्य परीक्षा में अशोक द्वारा स्वयं का नोकिया का मोबाईल एवं अकित का मोबाईल हैण्ड सेट छीनकर ले जाने का कथन किया है। इसी प्रकार परिवादी ने लिखित रिपोर्ट में किसी प्रकार के जेवरात लूटे जाने का तथ्य अंकित नहीं किया है जबकि साक्ष्य के दौरान राजेन्द्र की सोने की अंगूठी ले जाने का कथन किया है। इस प्रकार परिवादी लिखित रिपोर्ट से आगे बढ़कर अपने कथनों में सुधार करते हुए मोबाईल, सोने की अंगूठी एवं 950/– रूपये लूटे जाने का कथन किया है जो गवाह के कथनों को संदिग्ध बनाता है।

55. इसी क्रम में अन्य गवाहान की साक्ष्य को देखा जावे तो गवाह पी.ड.2 मोहनलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा फैक्ट्री में रखे कागजात, इन्वेटर, रूपये, एलईडी, कैमरे व सीसीटीवी कैमरे लूटने का साक्ष्य दिया है। इस प्रकार गवाह पी.ड.2 ने अपनी साक्ष्य में मोबाईल, अंगूठी लूटने का कथन नहीं किया है। इसी प्रकार गवाह पी.ड.3 खेताराम ने अभियुक्तगण द्वारा मौके से लूट किए जाने के संबंध में किसी प्रकार का कथन न्यायालय के समक्ष नहीं किया है। गवाह पी.ड.06 अंकित कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा गाड़ियों की चाबियां, ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे, एलसीडी, कैमरों की मशीन, फैक्ट्री के कागजात, ईन्वर्टर, बैट्री, सोने की अंगूठियां, डोरा लूटकर ले गए और उसका नोकिया कंपनी का मोबाईल लूटकर ले गये। इस प्रकार उक्त गवाह ने लिखित रिपोर्ट से आगे बढ़ते हुए सोने की अंगूठियां, डोरा एवं स्वयं का नोकिया कंपनी का मोबाईल लूटकर ले जाना बताया है। उक्त गवाह ने स्पष्ट कथन नहीं किया किया है कि सोने की अंगूठी एवं डेारा किस व्यक्ति से लूटा गया था। उक्त गवाह ने स्वयं का नोकिया कंपनी का मोबाईल लूटा जाना बताया है जबकि परिवादी सुभाष ने नोकिया कंपनी का मोबाईल स्वयं का होना बताया है। इस प्रकार मोबाईल किसका लूटा गया, इस संबंध में भी गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास है। गवाह पी.ड.7 ओमप्रकाश ने मुख्य परीक्षण में राजेन्द्र की एक सोने की अंगूठी व एक सोने की चैन व 500/– रूपये ले गए। स्कॉर्पियो की चाबी छीनकर ले गये तथा मोबाईल ले गये। मोबाईल राजेन्द्र का था व एक सुभाष का मोबाईल भी था वो भी ले गए। सीसीटीवी का सारा सामान ले गये। इस प्रकार गवाह पी.ड.7 ओमप्रकाश ने मौके से कागजात, एलसीडी, इन्वर्टर, बैट्री लूटकर ले जाने का साक्ष्य नहीं दिया है। गवाह ने 500/– रूपये लूटने का कथन किया है जबकि परिवादी ने 950/– रूपये लूटने का साक्ष्य दिया है। गवाह ओमप्रकाश पी.ड.7 ने सुभाष व राजेन्द्र का मोबाईल लूटने का कथन किया है जबकि परिवादी ने स्वयं का एवं अंकित का मोबाईल छीनने का साक्ष्य दिया है। इसी प्रकार अन्य गवाह पी.ड.11 हितेश थोरी ने अभियुक्तगण द्वारा गाड़ियों की चाबियां, कैमरे, कैमरे की मशीन, ईन्वर्टर, बैट्री, रूपये लेकर चले गये। इस प्रकार उक्त गवाह हितेश थोरी ने अभियुक्तगण द्वारा सोने की अंगूठी,चैन व मोबाईल लूटने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। इसी प्रकार गवाह पी.ड.13 जितेन्द्र ने भी अभियुक्तगण द्वारा मजरूबान की गाड़ियों की चाबियां, मजरूबान की जेब से पैसे, सीसीटीवी कैमरो के स्टॉरेज का सामान, ईन्वर्टर बैट्री व एलईडी वगैरह ले गए। गवाह पी.ड.19 राजेन्द्र ने कथन किया है कि हरिराम ने उसकी सोने की अंगूठी, सोने की चैन,

सैमसंग का मोबाईल, 500/– रूपये नगद, छीनकर ले जाने का साक्ष्य दिया है। गवाह ने कथन किया है कि अभियुक्तगण ने फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे, एलईडी, व इन्वेटर को तोड़ दिया। इस प्रकार गवाह राजेन्द्र जो कि प्रकरण का आहत भी है ने अपनी साक्ष्य में विशिष्टतः अभियुक्त हरिराम द्वारा उसकी सोने की अंगूठी व चैन व सैमसंग का मोबाईल व 500/– नगद ले जाने का कथन किया है। उक्त गवाह ने सीसीटीवी कैमरे, एलईडी व इन्वर्टर को लूटने का कथन नहीं किया है जबकि अन्य गवाहान ने सीसीटीवी कैमरे, एलईडी व इन्वर्टर व बैट्री को लूटने का साक्ष्य दिया है। गवाह पी.ड.22 विजेन्द्र ने भी अपनी साक्ष्य में फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरे, इन्वर्टर, पैसे कागजात लूटने का कथन किया है। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा घटनास्थल से क्या–क्या लूट की गई इस संबंध मे गवाहान की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। गवाह पी.ड.3 खेताराम जो कि चक्षुदर्शी साक्षी है ने अभियुक्तगण द्वारा मौके से कोई सामान उठाकर या लूटकर ले जाने के संबंध में न्यायालय के समक्ष कथन नहीं किया गया है। गवाह पी.ड.19 राजेन्द्र एवं पी.ड.7 ओमप्रकाश ने 500/– रूपये लूटने का कथन किया है जबकि परिवादी सुभाष ने स्वयं की जेब से 950/– रूपये छीनकर ले जाने का कथन किया है। इस प्रकार परिवादी पक्ष के कुल कितने रूपये छीने गये, इस संबंध में भी गवाहान की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अभियोजन साक्षीगण ने अभियुक्तगण द्वारा चाबियां, सीसीटीवी कैमरे की मशीन, एलसीडी, गाड़ी की चाबियां, सेाने की अंगूठी व चैन लूटने का कथन किया है किन्तु अभियुक्तगण से उक्त सामान की कोई बरामदगी ही नहीं हुई है।

56. अब यदि अभियुक्तगण से हुई बरामदगी को देखा जावे तो दौराने अनुसंधान अभियुक्त श्रीराम से आरसी गाड़ी नंबर आरजे 18 यूसी 0101, अभियुक्त धर्मपाल से मोबाईल सैमसंग जीटी जी 531 एच, अभियुक्त भोपाल सिंह से एक सीसीटीवी कैमरा, अभियुक्त श्रीराम से 950/– रूपये, अभियुक्त हरिराम से 500/– रूपये की बरामदगी हुई है। उक्त बरामदगी के संबंध में पुनः अभियोजन साक्ष्य का विवेचन किया जावे तो परिवादी सुभाषचंद ने अपनी लिखित रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया है कि किस वाहन के कागजात अभियुक्तगण द्वारा लूटे गये थे, अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण ने भी इस संबंध में स्पष्टतः ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किस वाहन के कागजात लूटे गये। इसके अतिरिक्त वाहन की आरसी कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो, जिसकी लूट किए जाने से अभियुक्तगण को किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ हो, यह प्रकट नहीं होता है। स्वयं गवाह पी.ड.1 नवल किशोर मीणा अनुसंधान अधिकारी ने जिरह में कथन किया है कि जो आरसी श्रीराम की निशादेही से बरामद की थी वो आरसी श्रीराम के काम की वस्तु नहीं थी। अनुसंधान अधिकारी कैलाशचंद ने अनुसंधान के दौरान अभियुक्त हरिराम से एक 500/– रूपये का नोट एवं अभियुक्त श्रीराम से 950/– रूपये जब्त किए जाने का साक्ष्य दिया है किन्तु प्रथम तो अभियोजन गवाहान की ओर से इस संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण कुल कितने रूपये लूटकर ले गए है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण श्रीराम एवं हरिराम से जब्तशुदा क्रमशः 950/– रूपये व 500/– रूपये काफी छोटी रकम है जो आसानी से एक व्यस्क व्यक्ति के पास मिल जाती है। उक्त बरामदशुदा रूपये अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय लूटे गये रूपये ही रहे हो, इस संबंध में सुदृढ़ साक्ष्य अभियोजन की ओर से पेश नहीं की गई है। अभियुक्त हरिराम की निशादेही से 500/– रूपये के नोट की बरामदगी एक पेड़ के नीचे की गई है जो विश्वसनीय होना न्यायालय नहीं पाता है। अभियुक्त भोपाल सिंह से एक सीसीटीवी कैमरे की बरामदगी जरिए फर्द प्रदर्श पी–45 जब्त किया गया है जबकि अभियोजन साक्षीगण ने सीसीटीवी कैमरे की मशीन, एलईडी ले जाने का कथन किया है परिवादी ने लिखित रिपोर्ट में सीसीटीवी कैमरे ले जाने का तथ्य अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त भोपाल सिंह की निशादेही से कैमरे की बरामदगी का तथ्य संदिग्ध है। इसके अतिरिक्त बरामदशुदा सीसीटीवी कैमरा, परिवादी की फैक्ट्री में स्थापित किया गया सीसीटीवी कैमरा ही रहा हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अभियुक्तगण से बरामदशुदा मोबाईल, रूपये, सीसीटीवी कैमरे की शिनाख्तगी भी परिवादी पक्ष से नहीं करवायी गई है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण श्रीराम, हरिराम व भोपाल सिंह से हुई बरामदगी के आधार अभियोजन पक्ष को किसी प्रकार की कोई मदद प्राप्त नहीं होती है।

57. बहस के दौरान विदुषी लोक अभियोजक ने एक तर्क यह भी दिया कि अभियुक्त धर्मपाल की निशादेही से बरामदशुदा मोबाईल आहत राजेन्द्र सिंह का रहा है और इस संबंध में मोबाईल का बिल भी परिवादी पक्ष की ओर से पेश किया गया है। इस संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का सूक्ष्मता से विवेचन किया जावे तो गवाह पी.ड.1 नवल किशोर मीणा ने साक्ष्य में कथन किया है कि दौराने अनुसंधान दिनांक 29.05.2017 को अभियुक्त धर्मपाल उर्फ धोलू ने उसे इत्तिला दी कि उसने राजेन्द्र का एक मोबाईल छीना था जो वह काम में लेता है और गिरफ्तारी के समय उसके पास वहीं मोबाईल था जो जामा तलाशी में मिला। इस पर अनुसंधान अधिकारी ने उक्त मोबाईल जरिए फर्द प्रदर्श पी–8 जब्त किया और मोबाईल खरीद का असल बिल प्रदर्श पी–9 शामिल पत्रावली किया। इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी का यह कथन रहा है कि अभियुक्त धर्मपाल ने उसे घटना के वक्त राजेन्द्र का मोबाईल सैमसंग कंपनी का लूटने और उक्त मोबाईल जामा तलाशी में अभियुक्त के कब्जे में मिला और उसे बाद में जब्त किया गया। परिवादी सुभाष ने लिखित रिपोर्ट में मोबाईल छीनने का तथ्य अंकित नहीं किया है। अभियोजन गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गवाह राजेन्द्र पी.ड.19 ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि हरिराम उसकी सोने की अंगूठी, सोने की चैन, सैमसंग का मोबाईल छीनकर ले गया। इस प्रकार आहत राजेन्द्र ने अपना मोबाईल अभियुक्त हरिराम द्वारा छीनने का साक्ष्य दिया है जबकि मोबाईल की जब्ती अभियुक्त धर्मपाल के कब्जे से होती है।

58. अब मोबाईल की बरामदगी के संबंध में साक्ष्य को देखा जावे तो अभियुक्त धर्मपाल को जरिए फर्द प्रदर्श पी–1 गिफ्तार किया गया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि **''.. गिरफ्तार किया जाकर जामा तलाशी जरिए कानि. संदीप के द्वारा लिवाई गई तो 4900/– रूपये नगद मिले, एक मोबाईल सैमसंग मिला। इसके अलावा पहने हुए कपड़ों के कोई वस्तु नहीं मिली और ना ही कब्जा पुलिस में ली गई है।''** अभियुक्त् धर्मपाल को दिनांक 26.05.2017 को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के समय अभियुक्त की जमा तलाशी में मिले 4900/– रूपयों और मोबाईल को कब्जा पुलिस में ले लिया जाता है। इस बाबत मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–114 में की गई प्रविष्टियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो रजिस्टर की क्रम संख्या– 62 पर माल जमा तलाशी अंकित किया है जो इस प्रकार है '' 2. कुल रकम 4900 व (**एक मोबाईल सैमसंग कंपनी का जो** इस प्रविष्टि को काटा गया है) मुल्जिम धर्मपाल से बतौर जामा तलाशी श्रीमान एसएचओ साहब नवल किशोर मीणा द्वारा लिये जाकर जमा मालखाना करवाये गये। इस प्रकार फर्द गिरफ्तारी में अभियुक्त की जमा तलाशी में एक सैमसंग कंपनी का मोबाईल मिलने का तथ्य अंकित है जबकि मालखाना रजिस्टर में सैमसंग कंपनी का मोबाईल बरामद होने की प्रविष्ट की जाकर उसे काट दिया जाता है और मोबाईल मालखाना में जमा नहीं करवाया गया। इसके पश्चात दिनांक 27.05.2017 को उक्त मोबाईल जरिए फर्द प्रदर्श पी–8 के जब्त किया गया है। प्रदर्श पी–8 में यह अंकित किा गया है '' मुताबिक ईत्तिला 27 साक्ष्य अधिनियम के एचएम मालखाना श्री सुभाषचंद मु.आरक्षी 01 से माल जमा तलाशी एक मोबाईल सैमसंग जीटीजी 531 एच को प्राप्त किया गया।'' इस प्रकार फर्द जब्ती के अनुसार मोबाईल मालखाना से निकलवाकर प्रकरण में बतौर वजह सबूत जब्त किया गया है किन्तु दिनांक 26.05.2017 के मालखाना रजिस्टर की प्रविष्टि के अनुसार मोबाईल मालखाना में जमा ही नहीं करवाया गया तो फिर मालखाना से मोबाईल निकलवाकर उसकी प्रकरण में जब्ती किस प्रकार की गई, यह तथ्य मोबाईल की बरामदगी को संदिग्ध बनाता है। उक्त मोबाईल परिवादी राजेन्द्र का होने के संबंध में मोबाईल खरीद का असल बिल प्रदर्श पी–9 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। प्रदर्श पी–8 में मोबाईल के आईएमईआई

नंबर अंकित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं 352957107544486/6 आईएमईआई नंबर 352957107544486/2। प्रदर्श पी–9 में अंकित मोबाईल के आईईएमआई नंबर निम्न प्रकार हैः–3529571071544486/4, 35295710715544486/2। इस प्रकार फर्द जब्ती प्रदर्श पी–8 व असल बिल प्रदर्श पी–9 में अंकित मोबाईल के आईएमईआई नंबरों में भिन्नता है। उक्त सभी तथ्य अभियुक्त धर्मपाल से मोबाईल की बरामदगी को संदिग्ध बनाते हैं और मोबाईल बरामदगी के आधार पर अभियोजन मामले को कोई मदद प्राप्त नहीं होती है।

59. साक्ष्य के उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार है कि अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध 148, 397/149, 455 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध को प्रमाणित करने में विफल रहा है किन्तु अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 451, 341, 323/149, 325/149, 427/149 भारतीय दण्ड के तहत दण्डनीय अपराध को प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को उक्तानुसार दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित है।

(सीमा ढ़ाका)
अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या–1, झुंझुनूं (राज०)

60. **1. हरिराम पुत्र श्री सुरजाराम, निवासी रणवां की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी पुलिस थाना नवलगढ़, 2. सुभाष पुत्र श्री मूलचंद, निवासी नेहरा की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी, पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुन्झुनू, 3. बजरंगलाल पुत्र श्री गुमानाराम, निवासी नेहरों की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी, पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुन्झुनू, 4. श्रीराम रणवां पुत्र श्री मंगलाराम, निवासी रणवां की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी, पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुन्झुनू, 5. भोपाल सिंह पुत्र श्री कालूराम, निवासी रणवां की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी, पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुन्झुनू, 6.. मनोहरलाल पुत्र श्री शंकरलाल, निवासी रणवां की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी, पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुन्झुनू,7.ओपेन्द्र पुत्र श्री मूलचंद, निवासी नेहरों की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुन्झुनू,8. धर्मपाल उर्फ धोलू पुत्र श्री भोपालराम निवासी रणवां की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी, पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुन्झुनू, 9. श्रीराम पुत्र श्री मंगलाराम, निवासी नेहरों की ढ़ाणी तन मोहनवाड़ी पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुन्झुनू को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 148, 397/149, 455 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त एवं धारा 147, 451, 341, 323/149, 325/149, 427 /149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।**

(सीमा ढ़ाका)
अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या-1, झुंझुनूं (राज०)

61. सजा के बिन्दु पर उभय पक्ष को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस तर्क दिया कि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण सन 2016 से निरन्तर अन्वीक्षा भुगत रहे है। अभियुक्त वृद्ध व्यक्ति है, जिनका प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अभियुक्तगण को यथोचित दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

62. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। पत्रावली पर अभियुक्तगण की पूर्व की दोषसिद्धि का कोई तथ्य विद्यमान नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त अपराध अभियुक्तगण का प्रथम अपराध होना दर्शित होता है। अभियुक्तगण सन 2016 से निरन्तर अन्वीक्षा भुगत रहे है। अत्ः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित पाता है।

63. परिणामतः अभियुक्तगण हरिराम, सुभाष, बजरंगलाल, श्रीराम रणवां, भोपाल सिंह, मनोहरलाल, ओपेन्द्र, धर्मपाल उर्फ धोलू व श्रीराम पुत्र मंगलारमा को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 147, 451, 341, 323/149, 325/149, 427 /149 भा.दं.सं.में दोषसिद्ध पर परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाकर आदेशित किया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/—रूपये की राशि का स्वयं का बंधपत्र एवं इसी कदर राशि का जमानतनामा इस आशय का पेश कर तस्दीक करवा दे कि उक्त अवधि में वह सदाचारी बना रहेगा, शांति व्यवस्था भंग नहीं करेगा, अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित होकर दण्डादेश प्राप्त करेगा तो उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 (1) के तहत परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। साथ ही अभियुक्त को अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त बतौर अभियोजन व्यय 6000/—रूपये न्यायालय में जमा करावे। अभियुक्तगण द्वारा अदा की जाने वाली अभियोजन व्यय की राशि बाद गुजरने मियाद अपील आहतगण को अदा की जावे।

64. प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे। चूंकि अभियुक्तगण द्वारा अदा की जाने वाली अभियोजन व्यय की राशि की आहतगण को अदा किए जाने का आदेश दिया गया है ऐसी स्थिति में पृथक से आहतण को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत किसी प्रकार की अनुशंषा किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(सीमा ढ़ाका)
अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या–1, झुंझुनूं (राज०)

65. निर्णय व आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रा के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

SUSHIL KUMAR
Digitally signed by SUSHIL KUMAR
Date: 2026.04.15 13:13:49 +0530

(सीमा ढ़ाका)
अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या-1, झुंझुनूं (राज०)